ज्ञानम् समिति रिपोर्ट
के संबंध में
नियुक्त की गई केन्द्रीय शिक्षा
सलाहकार बोर्ड समिति
की रिपोर्ट

अप्रैल 1992

केवल सरकारी प्रयोग के लिए प्रारूप

इसे परिचालित न किया जाए

डा० करशनदास सोनेरी

शिक्षा मंत्रालय

गुजरात सरकार

सचिवालय,

गांधीनगर।

अप्रैल 24, 1992

प्रिय श्री अर्जुन सिंह जी,

मैं, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपके द्वारा नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि प्रो० ए० ज्ञानम् की अध्यक्षता में गठित की गई "प्रबंध के वैकल्पिक मॉडल" संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान समिति रिपोर्ट की जांच की जा सके। समिति ने ज्ञानम् समिति रिपोर्ट की प्रत्येक सिफारिश पर विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की। चर्चा के दौरान, कभी-कभी तो गर्मा-गर्मी और जिद्दा-जिद्दी का माहौल बन गया। लेकिन अंततोगत्वा सभी मुख्य मुद्दों पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई। समिति का यह दृढ विचार था कि विश्वविद्यालयों को सभी अकादमिक मामलों तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यों में स्वायत्तता देनी होगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार -- दोनों को एक निश्चित भूमिका अदा करनी होगी ताकि वे यह सुनिश्चित करें कि देश के सभी भागों में उच्च शिक्षा का प्रसार किया जाएगा और उच्चतम शैक्षिक स्तर बनाए रखे जाएंगे। विश्वविद्यालयों के लिए प्राय: पूर्णत: लोकनिधिमों से धन की व्यवस्था की जाती है और उन्हें सार्वजनिक व्यय के मानकों का पालन करना होगा। हमने इस बात पर भी जोर दिया है कि विश्वविद्यालयों में अकादमिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबंध के विकेंद्रीकरण तथा शिक्षकों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को छात्रों, छात्रों के माता-पिता तथा समाज के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनने की परमावश्यकता है। समिति का यह पक्का विचार था कि विश्वविद्यालय परिसरों में राजनीतिक दखल को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

NIEPA DC

D07819

समिति से यह कहा गया था कि वह ज्ञानम् समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रकारताओं का सुझाव दें तथा नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए नीति संबंधी मार्गनिर्देशों की सिफारिश भी करें। हमारा विचार था कि सरकार, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विभिन्न स्तरों पर ज्ञानम् समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा परिवीक्षण के लिए एक पद्धतिपूर्ण योजना तैयार की जानी चाहिए। जहां तक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने और मौजूदा राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने का संबंध है, समिति का यह विचार है कि देश के प्राय: सभी भागों में विश्वविद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और हमें मौजूदा संस्थाओं की गुणवत्ता सुधारने के प्रयत्न करने चाहिए। नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का औचित्य केवल तभी सिद्ध होगा जब उन सुदूरवर्ती या पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जहां उच्च शिक्षा की प्रसुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है।

यद्यपि मैं कई वर्ष से उच्च शिक्षा से संबद्ध रहा हूं फिर भी मैंने व्यक्तिगत रूप से समिति की चर्चाओं के दौरान उच्च शिक्षा पद्धति के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है। समिति के विद्वान सदस्यों ने अपने विविध एवं प्रचुर अनुभवों के आधार पर विभिन्न मुद्दों के संबंध में भिन्न-भिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य प्रदान किए जिनके अनुसार समिति ने ऐसी सिफारिशें की जो न केवल शैक्षिक समुदाय को बल्कि सरकार तथा शैक्षिक प्रशासकों को भी स्वीकार्य होनी चाहिए। मैं सभी सदस्यों के प्रति उनकी सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

आपका

(करशनदास सौनेरी)

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7819
Date........27-10-93

378
GOI-CR

श्री अर्जुन सिंह
मानव संसाधान विकास मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली- 110001

ज्ञानम् समिति रिपोर्ट के संबंध में नियुक्त की गई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8-9 मार्च, 1991 को हुई अपनी 46 वीं बैठक में प्रो॰ ए॰ ज्ञानम् की अध्यक्षता में गठित की गई "प्रबंध के वैकल्पिक मॉडलों'' पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि "केशिस बोर्ड'' का अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति का गठन करे जो राज्य सरकारों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानम् समिति की सिफारिशों पर विचार करे और समिति की रिपोर्ट को के॰ शि॰ स॰ बोर्ड की अगली बैठक में पेश करे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्री ने के॰ शि॰ स॰ बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से शिक्षा विभाग के तारीख 9 दिसम्बर के आदेश संख्या एफ॰ 3/9/91-पी एन-1 के अनुसार गुजरात के शिक्षा मंत्री डा॰ करशनदास सौनेरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:-

I राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं उक्त नीति के निर्माण के समय से हुए अन्य विकासों के परिप्रेक्ष्य में ज्ञानम् समिति की सिफारिशों पर विचार करना।

II सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए के॰ शि॰ स॰ बोर्ड के विचारार्थ प्रकारताओं का सुझाव देना।

III नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने तथा वर्तमान राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिए नीति संबंधी मार्गनिर्देशों की सिफारिश करना।

शिक्षा विभाग के आदेश संख्या एफ 3/9/91-पी एन-1 तारीख 9 दिसम्बर की एक प्रति अनुबंध-1 में दी गई है। शिक्षा विभाग के उक्त संख्या के तारीख 18 फरवरी 1992 अनुबंध-11 के आदेश के अनुसार दो और सदस्य बनाए गए।

3. तारीख 20-21 जनवरी 1992 को नई दिल्ली में समिति की पहली बैठक हुई। उसके बाद नई दिल्ली में ही 22 फरवरी और 21 मार्च को समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

4. समिति ने ज्ञानम् समिति की प्रत्येक सिफारिश का गंभीर अध्ययन किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उन सात राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा व्यक्त की गई राय पर विचार किया जिन्होंने ज्ञानम् समिति की रिपोर्ट से संबंधित अपनी लिखित टिप्पणियां शिक्षा विभाग को भेज दी थीं। उक्त सिफारिशों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इस नीति के निर्माण काल से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकासों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया। समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समीक्षा समिति (आचार्य राममूर्ति समिति) की सिफारिशों का संज्ञान लिया और राममूर्ति समिति की रिपोर्ट पर विचारार्थ आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में नियुक्त की गई के० शि०स० समिति द्वारा किए गए विचार-विमर्शों से उसे अवगत कराया गया।

5. विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने ज्ञानम् समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर अपने विचार व्यक्त किए। समिति के विचार अनुबंध-III में एक सारणीबद्ध विवरण में दिए गए हैं। समिति ने महसूस किया कि उच्च शिक्षा के प्रबंध में महिलाओ की भूमिका को स्वीकारने के लिए ज्ञानम् समिति की रिपोर्ट में जहां कहीं भी पुरुष वाचक शब्द "वह" लिखा है उसे स्त्रीवाचक शब्द भी समझा जाए। इस समिति ने ज्ञानम् समिति द्वारा की गई 144 में से 67 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, 10 को अस्वीकार कर दिया। 67 सिफारिशों को कुछ तरमीमों के साथ स्वीकार किया गया।

6. समिति का दूसरा विचारार्थ विषय सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रकारताओं का सुझाव देना था। समिति ने यह प्रेक्षण किया था कि सम्पूर्ण प्रणाली को इस वजह से नुकसान हुआ है क्योंकि अनेक आयोगों एवं समितियों द्वारा पहले की गई कई अच्छी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। समिति की राय थी कि यदि ज्ञानम् समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमारे विश्वविद्यालयों के प्रबंध पैटर्न में कोई प्रशंसनीय सुधार लाना है तो विभिन्न स्तरों पर इन सिफारिशों के लागू करने के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार की जानी चाहिए। समिति ने यह टिप्पणी दी कि ज्ञानम् समिति की रिपोर्ट (समिति के विचारों सहित) को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में सभी राज्यों के मंत्री तथा उत्कृष्ट

शिक्षाविद शामिल हैं। यदि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट को स्वीकार करता है तो केन्द्र और राज्य सरकारों का यह नैतिक कर्तव्य होगा कि वे इस समिति की सिफारिशों को लागू करें।

7. ज्ञानम् समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से अनेक एजेंसियां जुड़ी होंगी। इनमें केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय और कालेज शामिल होंगे। समिति का विचार था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक विवरण तैयार करना चाहिए जिसमें, इस बात का उल्लेख हो कि कौन सी सिफारिशें किस एजेन्सी द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा ज्ञानम् समिति की रिपोर्ट पर विचार किए जाने के बाद इस विवरण को सभी संबंधित एजेंसियों में परिचालित किया जाना चाहिए।

8. समिति सिफारिश करती है कि ज्ञानम् समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का परिवीक्षण भी स्तरों पर किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों/उच्च शिक्षा की राज्य परिषदों, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के स्तरों पर समितियां स्थापित की जानी चाहिए। समितियों में शिक्षाविद और सरकार तथा विश्वविद्यालय के अधिकारी शामिल होने चाहिए जो ज्ञानम् समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हों। इन समितियों में बाहर के विशेषज्ञा भी शामिल होने चाहिए। इन समितियों के संघठन का सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जा सकता है। समितियों की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए और पूर्व निर्धारित समय तथा कार्यक्रम के अनुसार इन सिफारिशों के कार्यान्वयन का परिवीक्षण किया जाना चाहिए।

9. समिति सिफारिश करती है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को सभी स्तरों पर ज्ञानम् समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति के परिवीक्षण के लिए एक स्थायी समिति गठित करनी चाहिए। इस समिति में तीन मंत्रियों, वि॰ अ॰ आ॰ के अध्यक्ष, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष, केन्द्रीय शिक्षा सचिव, राज्यों के दो शिक्षा सचिवों, दो कुलपतियों तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र के दो उत्कृष्ट शिक्षाविदों को शामिल किया जा सकता है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति को छह महीने में एक बार अपनी बैठक आयोजित करनी चाहिए और ज्ञानम् समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित अपनी रिपोर्ट के॰शि॰स॰ बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करनी चाहिए।

10. इस समिति का तीसरा विचारार्थ विषय नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने तथा वर्तमान राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए नीति संबंधी मार्गनिर्देशों की सिफारिश करना है।

11. समिति को यह सूचित किया गया कि देश में फिलहाल 146 विश्वविद्यालय हैं जिनमें केवल 10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। केन्द्रीय सरकार की नीति अब तक यह रही है कि राज्य सरकारों को ही अपने राज्यों में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। जहां तक नीति का संबंध है, केन्द्रीय सरकार नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना पसंद नहीं करती है। यहां तक वर्तमान दस केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना भी कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक या केन्द्र राज्य संबंधों के अनुक्रियास्वरूप की गई थी। उदाहरण के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (1916), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (1920) और दिल्ली विश्वविद्यालय (1922) को भारत सरकार अधिनियम, (1935) में केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया था और इस प्रकार वे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने रहे हैं। रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वभारती को 1951 में राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया और उसे एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गठित किया गया। उत्तरी पूर्वी राज्यों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहू की स्थापना 1973 में की गई और हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य में आंदोलन होने के कारण 1974 में की गई थी।

12. वर्ष 1976 में 42 वां संशोधन किया गया जिसके अनुसार 'शिक्षा' को समवर्ती सूची में अंतरित कर दिया गया। इस संशोधन के आधार पर केन्द्रीय सरकार के लिए देश के किसी भी भाग में विश्वविद्यालय स्थापित करना संभव हो गया। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इन शक्तियों का प्रयोग बहुत ही कम किया है। पांडिचेरी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई और जामिया मिलिया इस्लामिया को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1989 में दिया गया। इसका कारण यह था क्योंकि जामिया की उत्पत्ति अनोखे ढंग से हुई थी और स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुमूल्य योगदान रहा था। असम और नागालैंड में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून बना दिया गया है क्योंकि इन राज्यों के लोग उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए लगातार मांग कर रहे थे।

13.1 समिति को यह भी सूचित किया गया कि गत अनेक वर्षों से राज्य सरकारें विश्वविद्यालय तथा अन्य संगठन यह मांग करते रहे हैं कि या तो नए

केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं या वर्तमान राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। हाल के वर्षों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि सरकारों से भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। विद्यमान राज्य विश्वविद्यालयों-- विशेषत: इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्कल विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों स्थापित करने या राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने की मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने का अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिला है।

13.2 जैसा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय समीक्षा समिति 1984 ने सूचित किया है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालयों की सुविधाओं और उपलब्धियों की अनुपूर्ति करने, न कि उनकी पुनरावृत्ति की याचना करनी चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका अखिल भारतीय स्तर पर कारगर ढंग से कार्य करना है, जैसा कि दाखिले, नियुक्तियों और शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के स्वरूप में परिलक्षित होता है तथा देश में निगमित बौद्धिक जीवन का निर्माण करने में सहायता करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना हैं।

13.3 केन्द्रीय सरकार आमतौर पर नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि वह आशा करती है कि स्वयं राज्य सरकारें अपने विश्वविद्यालयों के स्तरों में सुधार करने की कार्यवाही करेगी। यदि किसी एक राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदल दिया जाता है तो अन्य अनेक राज्य भी ऐसी ही मांग करेंगे जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा।

13.4 केन्द्रीय बजट में वित्तीय संसाधनों को सदैव कमी रही है और इसी बजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूर्णत: नहीं कर पाया है। यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती है तो इससे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए उपलब्ध संसाधनों में और कमी हो जाएगी और उनका विकास रुक जाएगा।

13.5 अनेक राज्य विश्वविद्यालयों की भर्ती एवं पदोन्नति संबंधी नीतियों पर स्थानीय एवं सामुदायिक महत्व का प्रभाव पड़ा है और उनके कार्यकरण

को सामाजिक-राजनीतिक दलबंदी से क्षति पहुंची है। यदि केन्द्रीय सरकार ऐसे विश्वविद्यालयों का कार्यभार अपने हाथ में ले भी लेती है फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि स्थिति में सुधार हो ही जाए। ऐसी स्थिति में, उनको उस भूमिका को निभाना कठिन हो जाएगा जिसके लिए उनसे आशा की जाती है।

13.6 गत वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों का अनियंत्रित रूप से विस्तार हुआ है और स्तरों में गिरावट आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस पतन के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और इसको रोकने के लिए कार्योपाय करने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति ने भी यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को उचित कारणों के बिना और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं करनी चाहिए।

14.1 समिति ने नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने तथा विद्यमान विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने से संबंधित नीति का उल्लेख किया और सामान्यत: उसका समर्थन किया। समिति का पक्का विचार था कि आंदोलन के भय से नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं खोले जाने चाहिए। समिति ने नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने तथा राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए :-

14.2 नया विश्वविद्यालय केवल वहीं खोला जाए जहां ऐसे विश्वविद्यालय के लिए प्रमाणित शैक्षिक आवश्यकता हो। कोई भी नया विश्वविद्यालय तब तक नहीं खोला जाना चाहिए जब तक कि शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर उसकी आवश्यकता सिद्ध नहीं हो गई हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसके प्रस्ताव का समर्थन न कर दिया हो।

14.3 केन्द्रीय विश्वविद्यालय मात्र इस मांग को पूरा करने के लिए नहीं खोला जा चाहिए कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना ही चाहिए।

14.4 इस बात को सुनिश्चित करना केन्द्र की जिम्मेदारी है कि देश के सभी भागों में उच्च शिक्षा की संतुलित वृद्धि हो रही है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय केवल क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा देश में बड़े शैक्षिक अंतराल को समाप्त करने के उद्देश्य से खोला जाना चाहिए। समिति ने महसूस किया कि केन्द्र के लिए यह उचित होगा कि वह उन जनजातियों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जिन्हें फिलहाल किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं।

14.5 जहां तक छात्रों के दाखिले और शिक्षण संकाय के संगठन का संबंध है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय का एक अखिल भारतीय स्वरूप होना चाहिए। दाखिले तथा भर्ती अखिल भारतीय परीक्षाओं के आधार पर की जानी चाहिए। केन्द्रीय विश्वविद्यालय को ऐसे नवीन कार्यक्रम प्रदान करने चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हों और देश की विकासात्मक जरूरतों के संगत हों। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उच्च शैक्षिक स्तर निर्धारित करने चाहिए और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए।

14.6 राज्य सरकारें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की मांग मुख्यत: इसलिए करती है क्योंकि उनके पास धन की कमी होती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन की व्यवस्था करता है। नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने या मौजूदा विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने के बजाय आयोग को प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अच्छे विश्वविद्यालय को विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए और उसका विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा अकादमिक और भौतिक आधार-संरचना तथा शिक्षास्तर की दृष्टि से उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बराबर लाना चाहिए। आयोग संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे विश्वविद्यालयों का चयन करने तथा विश्वविद्यालयों की प्रबंध-संरचना में परिवर्तनों हित गहन विकास के विधियन हेतु शर्तों के लिए मानदंड तैयार कर सकता है। ऐसी अतिरिक्त निधियों का जारी रखा जाना विश्वविद्यालय के निष्पादन के साथ जुड़ा होना चाहिए।

15. अंत में केन्द्रीय शिक्षा सचिव श्री अनिल बोर्डिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष प्रो॰ एस॰ के खन्ना, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान के निदेशक प्रो॰ सत्य भूषण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव श्री वाई॰ एल॰ चतुर्वेदी के प्रति उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है। इन्हें समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया गया था। समिति श्रीमती शोभना जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अंतर्विश्वविद्यालय शैक्षिक संचार संकाय (यू जी सी इन्सेट) तथा उनके सहयोगियों की कुशल सचिवालयीन सेवा के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा करती है। उक्त सचिवालयीन सेवा के कारण समिति का कार्य अत्यंत सुकर बन गया था। समिति श्री एम॰ पी॰ एम॰ कुट्टी, निदेशक; श्री निर्मल सिंह, अवर सचिव शिक्षा विभाग और डा॰ पी॰ सी॰ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रति भी समिति के कार्य में उनके द्वारा दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त करती

है। समिति कु० जी० शांति और श्री जग मेहर सिंह की सराहना करती है जिन्होंने आशुलिपिकीय एवं टंकण सहायता प्रदान की। समिति गुजरात भवन में बैठकें आयोजित करने का कुशल प्रबंध करने और उदार अतिथि सत्कार के लिए गुजरात सरकार का धन्यवाद करती है।

अंत में समिति सम्पूर्ण विचार-विमर्श के दौरान तथा इस समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सदस्य-सचिव द्वारा प्रदत्त रचनात्मक योगदान के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है।

करशनदास सौनेरी

अनंतराव थोपडे
नरेन्द्र कुमार सिंह
आर्मेती एस० देसाई
ज्योतीभाई देसाई
जी० राम रेड्डी
सुधीर रे

चेतन्य प्रसाद माझी
माल्कॉम एस० आदिशेविया
इजहार हुसैन

एस० आनंदलक्ष्मी
डी० एन० मिश्र
सत्य भूषण

एस० जी० मांकड़

अनुबंध - I

सं0 एफ. 3-9/91-पी एन-1

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1991

आदेश

विषय : *ज्ञानम् समिति के संबंध में नियुक्त की गई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति।*

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8-9 मार्च 1991 को हुई अपनी 46 वीं बैठक में प्रो॰ ए॰ ज्ञानम् की अध्यक्षता में गठित की गई "प्रबंध के वैकल्पिक माडलों'' पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि "केव'' का अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति गठित करे जो राज्य सरकारों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानम् समिति की सिफारिशों पर विचार करे और समिति की रिपोर्ट को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में पेश करे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्री ने के॰ स॰ बो॰ के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित समिति का गठन किया:

डा॰ करशनदास सौनेरी शिक्षा मंत्री गुजरात — अध्यक्ष

श्री अनंतराव थोपडे शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र

श्री चैतन्य प्रसाद माझी शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौड़ उच्च शिक्षा, श्रम तथा रोजगार मंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री एम॰ एस॰ अदिशेषैया अध्यक्ष, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान मद्रास

अध्यक्ष, भारतीय विश्वविद्यालय संघ

प्रोफेसर, इज़हार हुसैन प्रोफसर, अलीगढ़ मिस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़

डा॰ ज्योतीभाई देसाई गांधी विद्यापीठ, वडाछी गुजरात

डा॰ एस॰ आपंदलक्ष्मी मुरुगप्पा चेट्टियार अनुसंधान केन्द्र, मद्रास

प्रो॰ जी॰ एम॰ रोड्डी अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

डा॰ डी॰ एन॰ मिश्र महानिदेशक, मध्य प्रदेश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल

डा॰ एस॰ जी॰ मांकड सदस्य सचिव

संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

3. केन्द्रीय शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव तथा निदेशक, "नीपा'' को इस समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

4. समिति का विचारार्थ विषय इस प्रकार होगा:

राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा इस नीति के निर्माण के समय से हुए अन्य विकासों की दृष्टि से ज्ञानम् समिति की सिफारिशों पर विचार करना।

इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में केंन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के विचारार्थ प्रकारताओं का सुझाव देना।

नए विश्वविद्यालय खोलने तथा विद्यमान राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने के लिए नीति संबंधी मार्गनिर्देशों की सिफारिश करना।

5. के० शि० स० बोर्ड ने अपनी 46वीं बैठक में यह निर्णय भी लिया कि अध्यक्ष केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्थापना से संबंधित पूरे मामले पर विचार करने के लिए एक ग्रुप की स्थापना कर सकता है। उक्त समिति इस ग्रुप के कार्य की भी देखभाल करेगी।

6. समिति को अपनी प्रथम बैठक के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

7. समिति कार्य के संबंध में अपनी प्रक्रियाएं तथा कार्यविधि निर्धारित करेगी।

8. समिति को सचिवालय यानि सहायता तथा अन्य सेवाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रदान करेगा।

(डा० आर० वी० वैद्यनाथ अय्यर)
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

1. समिति के सभी सदस्य तथा स्थायी आमंत्रिती
2. के० शि० स० बोर्ड के सभी सदस्य
3. सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिव
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
5. एवं आर० एम० के०पी० एस/ई एस के पी एस/ए एस के पी एस
6. निदेशक (के)
7. अ० स० (यू० आई०)
8. शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी।

अनुबंध II

सं एफ 3-9/91-पी एन-1

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1992

आदेश

विषय - *ज्ञानम् समिति के संबंध में नियुक्त की गई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति।*

मानव संसाधन विकास मंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से डा॰ सुधीर रे, संसद सदस्य लोकसभा तथा सदस्य, के॰ शि॰ स॰ बोर्ड को इस मंत्रालय के तारीख 9 दिसम्बर, 1991 के समसंख्यक आदेश के अनुसार गठित ज्ञानम् समिति के संबंध में नियुक्त की गई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का सदस्य नामित किया है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष भी इस समिति की बैठकों में आमंत्रित किए जाने वाले स्थायी सदस्य होंगे।

(डा॰ आर वी॰ वैद्यनाथ अय्यर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रत्येक आदेश सं॰ एफ 3-9/91-पी एन-1 दिनांक 9 दिसम्बर, 1991 की एक प्रति सहित प्रेषित:

1. डा॰ सुधीर रे, संसद सदस्य, खालुई बिलेर मठ, फस्ट लेन, पी॰ ओ॰ और जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल/127 नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली -1.

2. उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110001 -- का क॰ श॰ स॰ 7/22/सी-1/91 तारीख 23 दिसम्बर, 1991 के संदर्भ में।

ज्ञानम् समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में नियुक्त की गई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की सिफारिशों का सारांश

	सिफारिशों की क्रम संख्या	जोड़
स्वीकार की गई	1 से 4, 6, 10, से 13, 17, 18, 20, 23, से 26, 28, 31 से 33, 42, 45, 48, 51, 54, 61, 62 63, 64, 69 से 74, 81, 83 से 86, 93, 97, 98 100 से 103, 107 से 111, 114, 115, 117, 119 120, 122, 123, 127, 128, 131, 134, 135, 139, 142, 143।	67
स्वीकार नहीं की गई	27, 35, 49, 59, 66, 77, 95, 96, 141, 144	10
तरमीमों सहित स्वीकार	5, 7,से 9, 14, से 16, 19, 21, 22, 29, 30, 34, 36, से 41, 43, 46, 47, 50, 52, 53, 55 से 58, 60, 65, 67, 68, 75, 76, 78, से 80, 82, 87 से 92, 94, 99, 104 से 106, 112, 113, 116, 118, 121, 124 से 126, 129, 130, 132, 133, 136 से 138, 140	67
		जोड़ : 144

ज्ञानम् समिति रिपोर्ट
के संबंध में नियुक्त की गई केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड समिति
की रिपोर्ट

अप्रैल, 1992

अनुबंध III

ज्ञानम् समिति की सिफारिशें	केन्दीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की सिफारिशें
सामान्य	
1. विश्वविद्यालय विशिष्टता और क्षेत्रीय/राष्ट्रीय विकास के केन्द्र हैं। चालू परिवर्तन और चुनौतियों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए विश्वविद्यालयों को आगे आना चाहिए। विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों और उनके निधीयन के तरीकों की समीक्षा करके तदनुसार उनकी पुन: व्याख्या की जानी चाहिए।	स्वीकृत
2. विश्वविद्यालयों के नये लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित करने में छात्रों, शिक्षकों, प्रबंधकों और समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।	स्वीकृत
3. विश्वविद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था का ढांचा निश्चित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षिक प्रशासन सरकारी या निगम पद्धति में प्रचलित प्रशासन से भिन्न होता है। इसका आधार भागीदारी विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत होना चाहिए।	स्वीकृत

4.	विश्वविद्यालय प्रणाली की प्रबंध व्यवस्था में ऐसा लचीलापन होना चाहिए कि वह देश और जिस क्षेत्र में है उसकी बदलती हुई जरूरतों और नव परिवर्तनों तथा प्रयोगों के अनुसार खुद को जल्दी ही अनुकूल बना सके। इसलिए सब विश्वविद्यालयों के ढ़ांचों को एक ही विश्वविद्यालय अधिनियम के ढ़ांचे में शामिल करने के प्रयास से इस प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी। अत: इस संबंध में जो भी कानून या विधान बनाए जाएं उनमें विश्वविद्यालय प्रबंध व्यवस्था की केवल मोटी-मोटी बातें निर्धारित की जाएं । शेष ब्यौरा, विश्वविद्यालय, संविधि और अध्यादेशों द्वारा निश्चित करें।	स्वीकृत

अभिगम और सिद्धांत

अध्याय 6

स्वायत्तता

5. शैक्षिक विशिष्टता और विकास सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को अनिवार्य पूवपिक्षा समझना चाहिए। विश्वविद्यालयों के अधिनियम इस प्रकार बनाए जाएं कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता मजबूत हो और बाहरी हस्तक्षेप से बचा जा सके।

शैक्षिक विशिष्टता और विकास सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को अनविार्य पूवपिक्ष समझाना चाहिए। विश्वविद्यालयों के अधिनियम इस प्रकार बनाए जाएं कि, विशेषत: शैक्षिक तथा प्रशासनिक मामलों में, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता मजबूत हो और बाहरी हस्तक्षेप से बचा जा सके।

6. सांविधिक और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन की वर्तमान प्रणाली उत्कृष्टता के लक्ष्य पूरे करने के लिए सहायक नहीं है। अत: विश्वविद्यालय प्रणाली के सब क्षेत्रों में पुनर्गठन की आवश्यकता है ताकि प्रणाली के घटक अधिक स्वायत्त बनाए जा सकें।

चूंकि विश्वविद्यालय अपने संसाधन खुद नहीं जुटाते, अत: वित्तीय मामलों में विश्वविद्यालयों की जवाबदेही होनी चाहिए।

स्वीकृत

भागीदारी

7. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव का सहारा कम से कम लिया जाना चाहिए। चयन का सिद्धान्त वरिष्ठता और चक्रानुक्रम के आधार पर या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कसौटी के आधार पर नामन होना चाहिए।

विश्वविद्याल के विभिन्न प्राधिकरणों/निकायों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व का आधार सामान्यत: वरिष्ठता और चक्रानुक्रम या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कसौटी होना चाहिए। यदि मौजूदा संविधि में चुनाव का प्रावधान हो तो उसे जारी रखा जाए।

8. विश्वविद्यालय निकायों में छात्र प्रतिनिधियों को उनके पाठचर्चा सहपाठ्चर्या और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में चुनाव नहीं होना चाहिए।

सीनेट में छात्र प्रतिनिधियों को उनकी शैक्षिक उत्कृष्टता के आधार पर नामित करना चाहिए। होस्टल/खेलकूद और अन्य सहपाठ्यचर्या/सांस्कृतिक समितियों के लिए चुनाव की व्यवस्था की जा सकती है। विद्या परिषद् को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए विभागीय स्तर पर भी समितियां बननी चाहिए जिनमें छात्रों का प्रतिनिधित्व हो।

9. विभागों/संकायों/ विश्वविद्यालय की योजना और प्रबंध समितियों में अधिक महिलाओं को शामिल करना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिपाटी और परम्पराएं स्थापित करनी चाहिए।

विभागों/संकायों/विश्वविद्यालय की योजना और प्रबंध समितियों में पर्याप्त प्रतिनिधान द्वारा अधिक महिलाओं को शामिल करना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिपाटी और परम्पराएं स्थापित करनी चाहिए।

10. मंत्रियों या विधान मंडलों के सदस्यों या राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय प्रणाली में किसी पद पर नहीं रखना चाहिए।

स्वीकृत

11. विश्वविद्यालय या कालेज के कर्मचारियों (शिक्षक और शिक्षाकेत्तर वर्ग) को संसद, राज्य विधान सभा या स्थानीय निकाय को चुनाव लड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से असाधारण छुट्टी पर नहीं जाते।

उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का मत था कि मंत्रियों/विधान मंडल के सदस्यों या राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय प्रणाली में किसी पद पर रखने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार कर्मचारी भी किसी राजनीतिक दल या संगठन में पद ग्रहण कर सकते हैं।

12. राजनीतिक दलों को अपने आप एक आचरण संहिता तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र वर्ग पूर्णत: अपने अध्ययन और अनुसंधान में लगा रहेगा।

स्वीकृत

विकेन्द्रीकरण (अध्याय 6 और 14)

13. विश्वविद्यालय के कार्यों के अबाध और कारगर निष्पादन के लिए प्रणाली का विकेन्द्रीकरण आवश्यक हैं संकाय/विभाग अध्यक्षों को अधिक शक्ति सौंपनी चाहिए ताकि संकाय/विभाग ज्ञान की प्रगति के सशक्त माध्यम बन सकें। संकाय/विभाग स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन होना चाहिए। इन समितियों को दाखिले, अनुसंधान, बजट आदि के मामलों में निर्णय करने के लिए पर्याप्त शक्ति सौंपनी चाहिए ताकि विद्या परिषद्/कार्य परिषद् को कम मामले भेजे जाएं।

स्वीकृत

विकेन्द्रीकरण की संकल्पना के लिए पर्याप्त प्रशासनिक और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

14. वर्तमान संकायों के उपयुक्त समूह बना कर विश्वविद्यालय के विभागों के कई पूर्णत: स्वायत्त संस्थान बनाए जा सकते हैं। केन्द्रीय रजेस्ट्री समन्वय और समेकन का काम कर सकता हैं। संस्थान प्रशासनिक, शैक्षिक एवं वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वायत्त होने चाहिए। प्रत्येक संस्थान का अपना प्रबंधक मंडल और विद्या परिषद होनी चाहिए।

विश्वविद्यालय के गठन की इकाई स्कूल हो सकती है जिसमें विषय, प्रणाली आदि की दृष्टि से परस्पर-संबद्ध विद्याशाखाएं होंगी। एक स्कूल में कई को पर्याप्त प्रशासनिक, शैक्षिक तथा वित्तीय स्वायत्तता दी जा सकती है तथा उचित ढंग से विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। इन्हें प्रबंधक मंडल और विद्या परिषद् जैसे विश्वविद्यालय निकायों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए उचित पूर्वोपाय किये जा सकते हैं।

15. संकायों/विभागों को शिक्षाकात्तर वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए अधिकार देने चाहिए। इन शिकायतों में उनकी छुट्टी, सेवा की शर्तों कार्य विवरण आदि के मामले शामिल हैं। सामान्य नीति का निर्धारण, एक ही जगह, विश्वविद्यालय द्वारा होना चाहिए।

विश्वविद्यालयों के सांविधिक निकायों का मुख्य उत्तरदायित्व संकायों, विभागों समितियों आदि का सामान्य मार्गदर्शन और मुख्य नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों/निकायों को केवल वही मामले प्रस्तुत किए जाएं जो नीति से भिन्न हों। तकनीकी कार्यों के लिए विशिष्ट प्रकार के शिक्षाकेत्तर कर्मचारी वर्ग की भर्ती संबंधित विभाग द्वारा होनी चाहिए। कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों की नियुक्ति केन्द्रीय रूप में ही होगी। सेवा शर्तों, पदोन्नति आदि के बारे में नीति-निर्धारण विश्वविद्यालय का केन्द्रीय अभिकरण करेगा।

16. विश्वविद्यालयों को धीरे-धीरे पाठ्यक्रम नियंत्रण, परीक्षाओं के संचालन और संबद्ध कालेजों द्वारा भर्ती किए गए छात्रों को उपाधि प्रदान करने के काम से मुक्त करके केवल स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए।

विश्वविद्यालयों को धीरे-धीरे पाठ्यक्रम नियंत्रण, परीक्षाओं के संचालन और संबद्ध कालेजों द्वारा भर्ती किए गए छात्रों को उपाधि प्रदान कने के काम से मुक्त करके केवल स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए।

I स्वायत्त कालेज।

II मान लिए गए विश्वविद्यालय।

III परीक्षाधिकारी विश्वविद्यालय।

17. कालेजों को शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान करने के काम में तेजी लानी चाहिए और एक निश्चित समयाविधि में सब कालेजों को स्वायत्त करने का लक्ष्य पूरा करना चाहिए।

स्वीकृत

18. संबद्ध कालेजों वाले प्रत्येक विश्वविद्यालय में कोलिजियेट परिषद् होनी चाहिए। इसका अध्यक्ष विश्वविद्यालय का कुलपति होना चाहिए। विश्वविद्यालय के कोलिजियेट विंग से संबंधित सब मामलों में यह सर्वोच्च प्राधिकरण होनी चाहिए।

स्वीकृत

19. जिन विश्वविद्यालयों के संबद्ध संस्थानों की संख्या अधिक हैं, उन्हें कालेजों के लिए क्षेत्रीय केन्द्र या उप-परिसर स्थापित करने चाहिए। प्रत्येक उप-परिसर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के दायरे में स्वायत्त होना चाहिए और पाठ्यक्रम तैयार करने परीक्षाएं लेने, कालेजों की देखरेख और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

जिन विश्वविद्यालयों के संबद्ध संस्थानों की संख्या अधिक है, उन्हें कालेजों के लिए क्षेत्रीय केन्द्र या उप-परिसर स्थापित करने चाहिए। प्रत्येक उप-परिसर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के दायरे में स्वायत्त होना चाहिए और पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षाएं लेने, कालेजों की देखरेख और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

विकल्पत:, राज्य में एक परीक्षाकारी विश्वविद्यालय और कालेजों के लिए उसके क्षेत्रीय केन्द्र या उप-परिसर होने चाहिए।

उत्तरदायित्व

20. सब स्तरों पर उत्तरदायित्व जारी रखना चाहिए। शिक्षकों को विभाग अध्यक्षों/संकाय अध्यक्षों/निदेशकों के माध्यम से कुलपति और

स्वीकृत

विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। विश्वविद्यालय समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना कि स्वायत्तता और शैक्षिक स्वतंत्रता के कारण वे उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाते ।

21. प्रत्येक संकाय सदस्य, कालेज/विभाग के स्तर पर और विश्वविद्यालय प्रणाली के व्यापक स्तर पर, निर्धारित किए जा सकने वाले मानदंडों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षकों को शैक्षिक निकायों के माध्यम से मानदंडों का ब्यौरा स्वयं सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। मूल्यांकन, जो मुख्यत: शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अनुकूल होता है, प्रोत्साहन और अनुत्साहन की उपयुक्त योजना से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा न होने पर मूल्यांकन केवल एक शैक्षिक प्रयोग बन कर रह जाएगा।

प्रत्येक संकाय सदस्य, कालेज/विभाग के स्तर पर और विश्वविद्यालय प्रणाली के व्यापक स्तर पर, निर्धारित किए जा सकने वाले मानदंडों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षकों को शैक्षिक निकायों के माध्यम से मानदंडों का ब्यौरा स्वयं सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। मूल्यांकन, जो मुख्यत: शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अनुकूल योजना से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा न होने पर मूल्यांकन केवल शैक्षिक प्रयोग बन कर रह जाएगा।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का विचार था कि निष्पादन का मूल्यांकन विश्वविद्यालयों काजेजों में लागू किया जाना चाहिए और इसमें निम्नलिखित का प्रावधान होना चाहिए:-

I प्रत्येक शैक्षिक सत्र का स्वमुल्यांकन जिसमें दिए गए व्याख्यानों, प्रकाशित शोध लेखों और विस्तार कार्यकलापों की संख्या का उल्लेख हो।

II समसमूह मूल्यांकन

22. किसी शिक्षण संस्था जैसे विभाग/संकाय/कालेज/विश्वविद्यालय के निष्पादन का मूल्यांकन हर तीन साल बाद विशेषज्ञों के एक स्वायत्त निकाय द्वारा कराया जाना चाहिए।	किसी शिक्षण संस्था जैसे विभाग/संकाय/कालेज/विश्वविद्यालय के निष्पादन का मूल्यांकन हर पांच साल बाद विशेषज्ञों के एक स्वायत्त निकाय द्वारा कराया जाना चाहिए। मूल्यांकन के लिए मार्गनिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
23. संस्थानों को उनकी कमियों और सुधार की संभावनाओं के बारे में बताने के लिए संस्थाओं में "निष्पादन परीक्षा" होनी चाहिए।	स्वीकृत
योजना, परिवीक्षण और समन्वय	
24 विश्वविद्यालयें में योजना के महत्व की जरूरत के बारे में जानकारी की बहुत कमी है। अत: आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों की योजना प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की विकास योजनाओं के साथ योजना प्रक्रिया के संबद्ध और विश्वविद्यालय के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों पर बल दिया जाना चाहिए।	स्वीकृत
25. निम्नलिखित के लिए सांविधिक व्यवस्था होनी चाहिए :-	स्वीकृति
अ दीर्घक्षेत्रीय और लघुक्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य योजना।	
आ प्रत्येक विश्वविद्यालय में सांविधिक निकाय के रूप में योजना तथा परिवीक्षण बोर्ड बनाना चाहिए और इसके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रणाली	

का सतत परिवीक्षण और मूल्यांकन होना चाहिए। संकाय, राज्य सरकार, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, कालेज आदि के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं।

स्वीकृति

26. राज्य में उच्च शिक्षा के आयोजन, परिवीक्षण और समन्वय के लिए राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा, राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन होना चाहिए। लेकिन ऐसे निकाय की भूमिका और कार्य से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। परिषद् में मुख्यत: शिक्षा क्षेत्र के लोग होने चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिनिधि का भी प्रावधान होना चाहिए। परिषद का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। उसे उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। यदि उसे कुलपति के पद पर कार्य का अनुभव हो तो और भी अच्छा है। उसका कार्यकाल तीन वर्ष होना चाहिए जो 65 वर्ष की आयु तक एक बार और बढ़ाया जा सकता है। परिषद के विचारार्थ विषय, कार्य और संघटन आदि पूरे भारत में एक समान होने चाहिए। विश्वविद्यालयों और संबद्ध कालेजों के कार्य में परिषद को सहायता व सुविधा प्रदान करनी चाहिए और एक बाधा या अनुदान देने वाली एजेन्सी बन कर ही नहीं रह जाना चाहिए। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ प्रभावी समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए जब तक परिषद् की स्थापना

नहीं होती तब तक राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलपति समिति को यह कार्य करना चाहिए।

27. भारत सरकार को राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के गठन के बारे मे एक मॉडल बिल सब राज्य सरकारों में परिचालित करना चाहिए। बिल में एकरूपता के विचार से राज्य परिषदों के संघटन, कार्यों शक्तियों और अन्य विषयों का उल्लेख होना चाहिए।

स्वीकार नहीं की गई

(सिफारिश सं॰ 144 के साथ पढ़ी जाए)

28. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक कार्यक्रमों और अन्य मामलों के समन्वय के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियमों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिषद् का प्रावधान होना चाहिए। परिषद् में और लोगों के साथ-साथ आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सब केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति कुछ प्रोफेसर आदि शामिल किए जा सकते हैं। परिषद् के निणर्य अंतिम होने चाहिए और संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किए जाने चाहिए।

स्वीकृत

निधि

29 वेतन, अनुरक्षण व्यय और आकस्मिक व्यय सहित व्यय की आवर्ती मदों का खर्च पूरा करने के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ब्लॉक अनुदान/वार्षिक अनुरक्षण अनुदान देने की

अक्षय निधि "बलॉक अनुदान" का स्थान नहीं ले सकती। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लि अक्षय निधि बनाने के लिए धन जुटाना भी। राज्य सरकारों के लिए संभव नहीं होगा। विश्वविद्यालयों को अपने संसाधन

वर्तमान प्रथा जारी रहनी चाहिए। हर तीन साल बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वेतनत्तर घटक में नियमित रूप से 10% वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए। राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वेतन और भत्तों तथा अन्य घटकों की वृद्धि की भरपाई स्वत: करनी चाहिए। राज्य सरकार को आयोग द्वारा विकास व्यय के रूप में दी गई राशि के बराबर राशि का अंशदान देना चाहिए। ब्लाक अनुदान/वार्षिक अनुरक्षण अनुदान के बदले अक्षयनिधि प्रदान करने के बारे में प्रयोग किया जाना चाहिए। अक्षय निधि से प्राप्त होने वाला ब्याज/आय क्रमश: मौजूदा "ब्लॉक अनुदान" का स्थान ले लेगी। अक्षय निधि अनुदान की राशि की समीक्षा हर पांच वर्ष बाद की जानी चाहिए। संस्थाओं को अक्षय निधि की आय से अपनी वित्त- व्यवस्था करनी चाहिए।

30. विश्वविद्यालय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कुल मिलाकर अधिकतर सरकारी निधीयन पर निर्भर होते हैं। ऐसे अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए उद्योग, व्यापार और विकास एजेंसियों से धन जुटाने की कोशिश करनी चाहिए। जो निधियों की व्यवस्था करने वाले संगठनों के लिए उपयोगी हों।

31. उच्च शिक्षा की सहायता करने के लिए कम्पनी क्षेत्रक प्राईवेट और सार्वजनिक दोनों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए लेकिन इसके साथ दाखिले आदि में तरजीह जैसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्तर पर संसाधन जुटाने का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए और इसके लिए विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन सिद्धांत निश्चित करने चाहिए।

संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके द्वारा जुटाई गई निधियों को रखने के लिए उनको अनुमति दी जानी चाहिए। और इनकी कटौती ब्लॉक अनुदानों से नहीं की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों से अधिक फीस लेने के प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कुल मिलाकर अधिकतर सरकारी निधीयन पर निर्भर होते है। प्रासंगिक अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए उद्योग व्यापार और विकास एजेंसियों से धन जुटाने की कोशिश करनी चाहिए।

स्वीकृत

विशेष पीठों अनुसंधान कार्यकलापों आदि के लिए अटल अक्षयनिधि स्थापित करना ऐसी सहायता का भाग हो सकता है। सरकार की करों में छूट की नीति को उदार बना कर उच्च शिक्षा संस्थानों को दिया गया दान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिए गए दान के समान समझना चाहिए और इसकी पूरी राशि पर कर से छूट होनी चाहिए।

32. राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए ब्लॉक अनुदान की राशि निश्चित करनी चाहिए। ब्लॉक अनुदान निश्चित करते समय विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रयासों से जुटाई गई राशि कम नहीं की जानी चाहिए।

स्वीकृत

विश्वविद्यालय और अन्य प्रणालियां (अध्याय 7)

विश्वविद्यालय-सरकार संबंद्ध

33. उच्च शिक्षा की उन्नति में सरकारों को, सामान्यत: भागीदार का काम करना चाहिए। नियंत्रण लगाने का नहीं।

स्वीकृत

34. प्रशासनिक और शैक्षिक मामलों में विश्वविद्यालयों को पूर्णत: स्वायत्त होना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालया अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषदों द्वारा तैयार किए गए और विश्वविद्यालयों तथा सरकारों द्वारा

प्रशासनिक और शैक्षिक मामलों में विश्वविद्यालयों को पूर्णत: स्वायत्त होना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत बजट/पदों के बारे में वित्तीय स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान

स्वीकार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए।

आयोग/राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा तैयार किए गए और विश्वविद्यालयों तथा सरकारों द्वारा स्वीकार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत बजट के बाहर किसी भी खर्च के लिए राज्य/केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन आपेक्षित होगा।

35. कानून बनाने का अधिकार विश्वविद्यालयों को ही होना चाहिए। लेकिन यदि इनका कोई उपबंध अधिनियम या संविधि से भिन्न हो या यदि इनसे बहुत अधिक आवर्ती अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा हो जो निधीयन एजेन्सी को स्वीकार न हो तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद की सलाह पर इन्हें कुलाध्यक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

स्वीकार नहीं की गई।

36. कालेजों को संबद्ध करने या उनका संबंधन समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय का होना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन या असंबंधन के बाद ही सरकार को अनुदान देने या न देने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय को संबंधन की अनुमति देने से पहले सरकार की राय ले लेनी चाहिए।

कालेजों को संबद्ध करने या उनका संबंधन समाप्त करने का अधिकार, अनुदान के मामले में राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय का होना चाहिए।

37. विश्वविद्यालय कानूनों के ऐसे उपबंध रद्द कर देने चाहिए जो विश्वविद्यालयों को संबंधन और रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी जैसे मूल

37 और 38 रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी आदि की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली जारी रखी जा सकती है। उनका कार्यकाल 4-5 वर्ष निश्चित

अधिकारियों की नियुक्ति आदि के मामलों में अपने शैक्षिक निर्णय का पालन करने सें रोकते हों।

38. रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी जैसे सब कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा होनी चाहिए। कुलाधिपति या राज्य सरकारों द्वारा नहीं।

केन्द्रीय सरकार की भूमिका

39. केन्द्रीय सरकार को कुछ मुख्य उपबंधों वाला मूल केन्द्रीय विधान प्रस्तुत करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो कि राज्य सरकारें उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के स्तर और उसके तालमेल से संबंधित शर्तों का पालन करती है, यथा,

(क) केन्द्रीय सरकार को सब विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में यह उपबंध शामिल कराने के लिए एक सांविधिक प्रतिबंध लागू करना चाहिए। इसके अनुसार उनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों का पालन करना अनिवार्य हो।

किया जा सकता है। लेकिन वरिष्ठ स्तर के विश्वविद्यालय प्रशासकों का संवर्ग बनाना अपेक्षित है, निश्चित भर्ती किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा की जाए। निश्चित अवधि के बाद उनकी सेवाएं एक विश्वविद्यालय से दूसरे को हस्तांतरित की जा सकेंगी।

ऐसी स्वस्थ परंपराओं/परिपाटियों का विकास करना चाहिए जिनसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करना मानक बन जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिकार होना चाहिए कि वह उन उच्च शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकें जो, राज्य/केन्द्रीय सरकार की राय से की गई, उसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों का पालन नहीं करती । इसके लिए केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार करना चाहिए। ये सिफारिशें विशेषत: इनके संबंध में हो सकती हैं:

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सहमति बिना कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला जाना चाहिए। नया विश्वविद्यालय केवल ऐसे सामान्य मानदंडों के आधार पर खोला जाना चाहिए जो विशेष जरूरतों, जनसंख्या के आधार, मौजूदा विश्वविद्यालय के आधार आदि की दृष्टि से निर्धारित किए गए हों।

(ग) राज्य विश्वविद्यालयों के बारे में नये कानून मौजूदा कानूनों के संशोधन भी लागू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय ली जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

40. देश में उच्च शिक्षा के विकास में आयोग को अधिक भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन इसकी भूमिका परामर्शी और विश्वासोत्पादक होनी चाहिए। इसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सहमति बिना कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला जाना चाहिए। नया विश्वविद्यालय केवल ऐसे सामान्य मानदंडों के आधार पर खोला जाना चाहिए जो विशेष जरूरतों? जनसंख्या के आधार, मौजूदा विश्वविद्यालय के आधार आदि की दृष्टि से निर्धारित किए गए हों।

(ख) राज्य विश्वविद्यालयों के बारे में नये कानून मौजूदा कानूनों के संशोधन भी लागू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय ली जानी चाहिए।

विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद तीन मास में आयोगी को अपनी सिफारिशें दे देनी चाहिए।

देश में उच्च शिक्षा के विकास में अयोग को अधिक भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन इसकी भूमिका परामर्शी और विश्वासोत्पादक होनी चाहिए। आयोग को अधिकार होना चाहिए कि वह भर्ती के लिए न्यूनतम मानक/शिक्षिकों की योग्यता, कार्य दिवसों की संख्या आदि के तालमेल और नियमन से संबंधित मामलों में अपनी राय लागू कर सके।

41. कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय शिक्षा के मामलों में, विशेष समन्वय और मानक से संबंधित मामलों में, सलाह देने वाली एजेन्सी आयोग ही होनी चाहिए।

कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति को विश्वविद्यालय शिक्षा के मामलों में, विशेषत : समन्वय और मानक से संबंधित मामलों में, सलाह देने वाली एजेन्सी आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद होनी चाहिए।

42. चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए हमारी सिफारिशों में प्रकल्पित जिम्मेदारियों की संख्या में वृद्धि हो गई है और उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है, अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए। यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि वि० अ० अ० और राज्य स्तरीय संस्थाओं के बीच परामर्श करना बाध्यकारी हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा की राज्य स्तरीय परिषदों के बीच कारगर समन्वय एवं सहयोग होना चाहिए।

स्वीकृत

43. आयोग के विकेन्द्रीकृत कार्य-संचालन के लिए इसके कम से कम 4-5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य पूरे देश में विश्वविद्यालय प्रणाली में आयोग के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और परिवीक्षण को बढ़ावा देना है। इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या कुछ योजनाएं, जिन पर आयोग काम कर रहा है, कालिजियेट परिषदों को सौंपी जा सकती है।

आयोग के विकेन्द्रीकृत कार्य-संचालन के लिए इसके कम से कम 4-5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिएं। इसका उद्देश्य पूरे देश में विश्वविद्यालय प्रणाली में आयोग के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और परिवीक्षण को बढ़ावा देना है। इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या कुछ योजनाएं, जिन पर आयोग काम कर रहा है, विश्वविद्यालयों को सौंपी जा सकती है।

विश्वविद्यालय -उद्योग/राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अंत: संबंध

44. विश्वविद्यालयों में उच्च और अनुसंधान के विकास के लिए विश्वविद्यालयों के बाहर का उच्च कार्य और अनुसंधान वाली संस्थाओं में उपलब्ध विशेष सुविधाओं और संसाधनों का लाभ उठाना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और अन्य अनुसंधान संगठन आदि ऐसी ही संस्थाएं हैं। एक निश्चित नीति के आधार पर सरकारी वैज्ञानिक विभागों में व्यक्तियों का आदान प्रदान सब संबंधित व्यक्तियों के लिए अत्यंत मूल्यवान और लाभदायक होगा।

विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए विश्वविद्यालयों से बाहर का उच्च कार्य और अनुसंधान वाली संस्थाओं में उपलब्ध विशेष सुविधाओं और संसाधनों का लाभ उठाना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और अन्य अनुसंधान संगठन आदि ऐसी ही संस्थायें हैं। एक निश्चित नीति के आधार पर सरकारी वैज्ञानिक विभागों में व्यक्तियों का आदान-प्रदान सब संबंधित व्यक्तियों के लिये अत्यंत मूल्यवान और लाभदायक होगा। आयोग इसके लिए स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत निश्चित कर सकता है।

45. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के अनुसंधान वैज्ञानिकों और विद्वानों को विश्वविद्यालयों के निकायों/प्राधिकरणों - विशेषत: विद्या परिषदों, योजना समितियों, संकायों, पाठ्य-समितियें और अनुसंधान एवं विस्तार समितियों में नामित किया जाना चाहिए।

स्वीकृत

46. विश्वविद्यालयों को अनुसंधान प्रयोगशालाओं या संस्थानों को अनुसंधान केन्द्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं यदि शिक्षण/प्रशिक्षण क़ार्यक्रम में भाग ले रही है तो उन्हें "विश्वविद्यालय मान ली गई" संस्थाओं का दर्जा दिया जाना चाहिए।

स्वीकृत

LIBRARY & DOCUMENTATION CEN
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7819
Date 27/2/93

47. विश्वविद्यालय के विकास के लिए उद्योगों से सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उद्योगों के साथ घनिष्ठ कार्यकारी संबंध बनाने से जैसे अतिथि प्रोफेसरशिप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों को शैक्षिक जगत में लाया जा सकता है। इससे दोनों को लाभ होगा, विश्वविद्यालयी शिक्षा अधिक सार्थक बनेगी और इसमें ऐसे कौशल का समावेश होगा जिसकी बहर आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय के विकास के लिए उद्योगों से हलजलम सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उद्योगों के साथ घनिष्ठ कार्यकारी संबंध बनाने से जैसे अतिथि प्रोफेसरशिप और परामर्शी सेवाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों को शैक्षिक जगत में लाया जा सकता है इससे दोनों को लाभ होगा, विश्वविद्यालयी शिक्षा अधिक सार्थक बनेगी और इसमें ऐसे कौशल का समावेश होगा जिसकी बाहर आवश्यकता है।

विश्वविद्यालयों के अधिकार (अध्याय 8)

स्वीकृत

48. पिछले अनुभव को देखते हुए विश्वविद्यालयों के अधिकारों को स्पष्ट और निश्चित रूप से बताना आवश्यक हो जाता है। इन अधिकारों को विश्वविद्यालय प्रणाली के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख भी करना चाहिए।

49. कानून बनाने का अधिकार, अधिकांशत: विश्वविद्यालय का ही होना चाहिए। कानूनों को वैध बनाने तथा प्रचलन में लाने के लिए, कुछ मामलों को छोड़ कर, कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष के पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पैरा (39)

स्वीकार नहीं की गई

50. विश्वविद्यालय के अधिकारों में निम्नलिखित मामले, विशेष रूप से, शामिल किए जाएं :

(क) अध्ययन और अनुसंधान के लिए अंत: शास्त्रीय पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना छात्रों तथा उपभोक्ता एजेन्सियों द्वारा चुने गए पाठ्यचर्या-मिश्र में पर्याप्त लचीलापन लाना।

(ख) बहिर्विद्यालयी अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं, जिनमें प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा, एन सी सी, एन एस एस आदि शामिल हैं, प्रारम्भ करना और आयोजित करना।

(ग) अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था करना। इसके लिए ऐसी अन्य संस्थाओं या निकायों या उद्योगों से समुचित व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

(घ) पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर सेवाओं आदि के संदर्भ में साझे संसाधन केन्द्रों की व्यवस्था करना और उन्हें जारी रखना। इन केन्द्रों का उपयोग क्षेत्र के कालेजों का समूह करेगा।

(ड़) किसी कालेज या संस्था या विभाग या कैम्पस को सवायत्त बनाना और पाठ्यचर्या-निर्धारण, शिक्षा-विधियों तथा मूल्यांकन

विश्वविद्यालय के अधिकारों में निम्नलिखित मामले, विशेषरूप
में, शामिल किए जाएं:

(क) अध्ययन और अनुसंधान के लिए अंत: शास्त्रीय पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना छात्रों तथा उपभोक्ता एजेन्सियों द्वारा चुने गए पाठ्यचर्या-मिश्र में पर्याप्त लचीलापन लाना।

(ख) बहिर्विद्यालयी अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं, जिनमें प्रौढ़ तथा अनुवर्ती शिक्षा, एन सी सी, एन एस एस आदि शामिल हैं, प्रारम्भ करना और आयोजित करना।

(ग) अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था करना। इसके लिए ऐसी अन्य संस्थाओं या निकायों या उद्योगों से समुचित व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

(घ) पुस्तकालय, प्रयोगशलाओं और कम्प्यूटर सेवाओं आदि के संदर्भ में साझे संसाधन केन्द्रों की व्यवस्था करना और उन्हें जारी रखना। इन केन्द्रों का उपयोग क्षेत्र के कालेजों का समूह करेगा।

(ड़) किसी कालेज या संस्था या विभाग या कैम्पस को स्वायत्त बनाना और पाठ्यचर्या निर्धारण, शिक्षण-विधियों तथा मूल्यांकन में

में नवपरिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन ये सब कार्यकलाप विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत ही होंगे।

(च) "दूरवर्ती अधिगम" और "मुक्त उपागम" के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करना और छात्रों को औपचारिक से अनौपचारिक तथा अनौपचारिक से औपचारिक शिक्षा में परिवर्तन की व्यवस्था करना।

(छ) विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रति शिक्षकों और शिक्षकोत्तर वर्ग का उत्तरदायित्व लागू करने की आयोग के मानकों के अनुसार न्यूनतम कार्य-भार निर्धारित करना।

(ज) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों/असंतोष के कारणों पर विचार करने और उन्हें दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

नवपरिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करना लेकिन ये सब कार्यकलाप विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत ही होंगे।

(च) "दूरवर्ती तथा मुक्त अधिगम" के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करना और छात्रों के लिए

I एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने की

II दूरवर्ती शिक्षा से औपचारिक शिक्षा में और औपचारिक से दूरवर्ती में जाने की

III औपचारिक/अनौपचारिक के मेल की व्यवस्था करना।

(छ) विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रति शिक्षकों और शिक्षकोत्तर वर्ग का उत्तरदायित्व लागू करने की कार्यकारी योजना बनाना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार नयूनतम कार्य-भार निर्धारित करना।

(ज) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों/असंतोष के कारणों पर विचार करने और उन्हें दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

(झ) विश्वविद्यालय के संसाधनों के किफायती और उत्पादी उपयोग में संसाधन जुटाना। बाहरी एजेन्सियों के लिए परामर्श-आधारित अनुसंधान परियोजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे आय बढ़ाने के अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के नये मार्गों की खोज करना।

(ञ) विश्वविद्यालय के एक से अधिक विभाग में और विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालय उद्योग आदि के बीच संयुक्त नियुक्तियों की व्यवस्था करना।

(ट) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए विश्वविद्यालयी शिक्षा के लाभ उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था करना।

(ठ) विश्वविद्यालय कैम्पस में अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था करना। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीयसरकार/राज्यसरकार/उद्योग/अन्य किसी संगठन द्वारा

(झ) विश्वविद्यालय के संसाधनों के किफायती और उत्पादी उपयोग से संसाधन जुटाना। बाहरी एजेन्सियों के लिए परामर्श- आधारित अनुसंधान परियोजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे आय बढ़ाने के अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के नये मार्गों की खोज करना। परामर्शदाता और संस्था के बीच परामर्शी फीस के विभाजन के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मार्गदर्शन सिद्धांत/मानदंड निश्चित करने चाहिए।

(ञ) विश्वविद्यालय के एक से अधिक विभाग में और विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालय-उद्योग आदि के बीच विशिष्ट योग्यता प्राप्त अवैतनिक प्रोफेसरों की नियुक्ति की व्यवस्था करना।

(ट) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए विश्वविद्यालयी शिक्षा के लाभ उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था करना।

(ठ) विश्वविद्यालय कैम्पस में स्वायत्त अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, खेल काम्प्लेक्स, मीडिया केन्द्र आदि की व्यवस्था करना। इनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार/उद्योग/अन्य किसी संगठन से आर्थिक सहायता

शुरू किए जा सकते हैं और विश्वविद्यालयों/कालेजों आदि का समूह इनका उपयोग कर सकता है।

(ड) कालेजों के समूह के कामकाज के लिए स्वायत्त उप-परिसर स्थापित करना।

(ढ) शिक्षकों के लिए आचार संहिता अन्य कर्मचारियों के लिए आवरण संहिता, और छात्रों के लिए अनुशासन निर्धारित करना।

(ण) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन लागू करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति आदि (अध्याय 9)

कुलाध्यक्ष

51. भारत के राष्ट्रपति केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होंगे। इनके अधिकार के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष के अधिकार के समान ही होंगे। ये विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं होंगे।

प्राप्त की जा सकती है और विश्वविद्यालयों/कालेजों आदि का समूह इनका उपयोग कर सकता है।

(ड) कालेजों के समूह के कामकाज के लिए स्वायत्त उप-परिसर स्थापित करना।

(ढ) शिक्षकों और कुलपतियों तथा प्रिंसपलों सहित, अधिकारियों के लिए आचार संहिता, अन्य कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता और छात्रों के लिए अनुशासन संहिता निर्धारित करना।

(ण) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन लागू करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

स्वीकृत

52. विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुलाध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग संबंधित सरकार की सलाह से किया जाएगा। इस संबंध में राज्य उच्च शिक्षा परिषद्/सी सी यू की सलाह भी लेनी चाहिए। जिन मामलों में समान्य प्रथाओं से अंतर हो वहां कुलाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सें परामर्श करना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुलाध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग संबबधित सरकार की सलाह से किया जाएगा। इस संबंध सें राज्य उच्च शिक्षा परिषद/ सी सी यू की सलाह भी लेनी चाहिए। जिन मामलों में सामान्य प्रथाओं से अंतर हो वहां कुलाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करना उचित हो सकता है।

कुलाधिपति

53. कुलाधिपति का पद, सम्मान का पद है जिस पर जिसके लिए ऐसे व्यक्तियों को नामित किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट स्थान रखते हैं या जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, समाज विज्ञानों या कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस पद के लिए नामन कार्यकारी परिषद् की सिफारिश से कुलाध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिए किया जा सकता है और नामन की अवधि का नवीकरण किया जा सकता है। कुलाधिपति को उपाधि वितरण सामारोह, कोर्ट/सिनेट और अन्य रस्मी सामारोहों में अध्यक्षता करने का अधिकार होना चाहिए। वह विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा।

कुलाधिपति का पद सम्मान का पद है जिस पर जिसके लिए ऐसे व्यक्तियों को नामित किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट स्थान रखते है या जिन्हेंने विज्ञान, साहित्य, समाज विज्ञानों या कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस पद के लिए नामन कार्यकारी परिषद् की सिफारिश से कुलाध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिए किया जा सकता है और नामन की अवधि का नवीकरण किया जा सकता है। कुलाधिपित को उपाधि वितरण समारोह, कोर्ट/सीनेट और अन्य रस्मी समारोहों में अध्यक्षता करने का अधिकार होगा। वह विश्वविद्यालय का अवेतनिक अधिकारी होगा।

कुलपति	स्वीकृत
54. कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और शैक्षिक प्रमुख होना चाहिए और उसके अधिकार तथा कर्तव्य इसी भूमिका के अनुरूप होने चाहिए।	
55. कुलपति की नियुक्ति के लिए विख्यात शिक्षाविदों की सूची में से खोज समिति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए। खोज समिति में कार्यकारी परिषद् का प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का नामित व्यक्ति और कुलाध्यक्ष का नामित व्यक्ति हो सकते हैं। कुलाध्यक्ष का नामित व्यक्ति समिति का संयोजक हो सकता है।	कुलपति की नियुक्ति के लिए विख्यात शिक्षाविदों की सूची में से खोज समिति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए। खोज समिति में कार्यकारी परिषद् का प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का नामित व्यक्ति और कुलाध्यक्ष का नामित व्यक्ति हो सकते हैं। कुलाध्यक्ष का नामित व्यक्ति समिति का संयोजक हो सकता है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति ने ज्ञानम् समिति की सिफारिश के अनुसार वैकल्पिक गठन भी स्वीकार किया। समिति की राय थी कि खोज समितियों के गठन में लचीलापन होना चाहिए और इसने सिफारिश की कि उच्च न्यायालयों के जजों को भी ऐसी समितियों में नियुक्त किया जाना चाहिए।
56. कुलपति का कार्यकाल, किसी भी परिस्थिति में, कुलाध्यक्ष या राज्य सरकार के प्रसाद पर नहीं होना चाहिए। यदि बड़े पैमाने पर तबादले, निष्कासन/बर्खास्तगी आदि करनी हो तो कुलाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष,	कुलपति का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में, कुलाध्यक्ष या राज्य सरकार के प्रसाद पर नहीं होना चाहिए। यदि तबादले, निष्कासन/बर्खास्तगी आदि करनी हो तो कुलाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करना आवश्यक होना चाहिए। इस संबंध में विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में व्यवस्था की जानी चाहिए।

57. कुलपति वरिष्ठ और विख्यात विद्वान होना चाहिए। इस बाद का ध्यान रखना चाहिए कि केवल अत्यधिक क्षमता, निष्ठा, आचरण और आत्मसम्मान वाले व्यक्ति ही कुलपति नियुक्त किए जाएं और इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जाएं कि नियुक्ति के बाद उन्हें अपने पूरे कार्यकाल में सुचारू रूप से काम करने के लिए, राज्यपाल और सरकार सहित, सबका पूरा-पूरा सहयोग मिले।

58. कुलपतियों को कारगर ढंग से और सम्मानपूर्वक काम करने देने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। उनकी हैसियत उच्च न्यायालय के जज से कम नहीं होनी चाहिए।

59. कुलपति को विश्वविद्यालय का प्रबंध करने और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां करने मे पर्याप्त स्वतंत्रता और स्वायत्तता होनी चाहिए ताकि वह ऐसी टीम बना सके जो अनुकूल, विश्वसनीय और सहायक हो। कुलाध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् और अन्य निकायों में नामन के मामले में भी कुलपति को अधिकार होना चाहिए।

सें परामर्श करना आवश्यक होना चाहिए। इस संबंध सें विश्वविद्यालयों के अधिनियमों सें व्यवस्था की जानी चाहिए।

कुलपति वरिष्ठ और विख्यात विद्वान होना चाहिए और किसी राजनीतिक पद पर या संसद/विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल अत्यधिक क्षमता, निष्ठा आचरण और आत्मसम्मान वाले व्यक्ति ही कुलपति नियुक्त किए जाएं और इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जाएं कि नियुक्ति के बाद उनहें अपने पूरे कार्यकाल में सुचारू रूप से काम करने के लिए, राज्यपाल और सरकार सहित, सबका पूरा-पूरा सहयोग मिले।

कुलपतियों को कारगर ढंग से और सम्मान पूर्वक काम करने देने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए।

स्वीकार नहीं की गई

60. संविधि में निर्धारित किया जाना चाहिए कि कुलपतियों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए। उन्हें 65 वर्ष की आयु तक, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय में दूसरी बार नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें केवल "कारण बताओ नोटिस" देने के बाद और कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर ही पद से हटाया जा सकता है। आरोप की जांच एक समिति करेगी जिसमें उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के आसीन/सेवा निवृत्त जज होंगे।

संविधि में निर्धारित किया जाना चाहिए कि कुलपतियों की नियुक्ति 4-5 वर्ष के लिए होनी चाहिए। उन्हें, 65 वर्ष की आयु तक, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय में दूसरी बार नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें केवल"कारण बताओं नोटिस" देने के बाद और कदाचार या अधिनियम/संविधान का उल्लंघन करने का आरोप सिद्ध होने पर ही पद से हटाया जा सकता है। आरोप की जांच एक समिति करेगी जिसमें उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के एक या दो आसीन/सेवा निवृत्त जज होंगे।

समकुलपति

61. 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय प्रणाली से बहुत आशाएं की गई हैं। कार्यसूची में सतत चलने वाले कई कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार विश्वविद्यालयों के कुछ मौजूदा पदों को नई दिशा प्रदान करनी होगी और कुछ नये पद बनाने होंगे ताकि अनुसंधान, विस्तार, पाठ्यचर्चा विकास, मानव संसाधन विकास, परीक्षा-सुधार आदि कार्यकलाप प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकें।

स्वीकृत

62. विश्वविद्यालयों के कार्य को सुप्रवाही बनाने के लिए कई वरिष्ठ शैक्षिक पद जैसे समकुलपति, विश्वविद्यालय प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यात्मक डीन/निदेशक बनाना अभीष्ट है। इन सबका कार्यक्षेत्र और अधिकार अलग-अलग होंगे और ये सीधे ही कुलपति या सिन्डीकेट को रिपोर्ट देंगे।

स्वीकृत

63. प्रत्येक विश्वविद्यालय में समकुलपति स्तर के एक या अधिक पद होने चाहिए। बड़े और ऐकिक विश्वविद्यालयें में ऐसे दो/तीन पद होने चाहिए। इनके अतिरिक्त, संबंधन विश्वविद्यालय में समकुलपति/कालेज डीन का पूर्णकालिक पद होना चाहिए।

स्वीकृत

64. समकुलपति की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद् द्वारा की जानी चाहिए। सामान्यत: समकुलपति का पद पूर्णकालिक होना चाहिए और इसका कार्यकाल कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त होना चाहिए; या नये कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने के बाद, नया समकुलपति आने तक होना चाहिए।

स्वीकृत

अन्य अधिकारी

अन्य पद

65. सामान्य प्रशासन, वित्त, मूल्यांकन आदि कार्यों के लिए ऐसे अधिक रजिस्ट्रार होने चाहिए। इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ, जैसे प्रोफेसर/वरिष्ठ रीडर/प्रशासक, में से 5 वर्ष के लिए, कार्यकारी परिषद् द्वारा की जानी चाहिए।

किसी भी विश्वविद्यालय में केवल एक रजिस्ट्रार होना चाहिए। रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, अवधि के आधार पर खुले चयन द्वारा, और ऐसा न होने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी चाहिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए और कुलपति के कार्यकाल के साथ इसका समाप्त होना आवश्यक नहीं है।

66. प्रत्येक विश्वविद्यालय में व्यक्तियों की शिकायतें दूर करने के लिए समकुलपति की हैसियत वाला एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए।

स्वीकार नहीं की गई।

67. संकाय अध्यक्षों, कार्यात्मक डीनों, संस्थानों के निदेशकों, रजिस्ट्रारों और वित्त अधिकारी आदि के पदों का कार्यकाल कुलपति के कार्यकाल जैसा हो सकता है और कुलपति के कार्यकाल के साथसमाप्त होना चाहिए; या नये कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने के बाद, उत्तराधिकारी आने तक होना चाहिए।

संकाय अध्यक्षों, कार्यात्मक डीनों, संस्थानों के निदिशकों आदि का कार्यकाल 3-5 वर्ष होना चाहिए। इनकी पुन: नियुक्ति पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए और नियुक्तियां कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए।

68. बारी-बारी से अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था सफल नहीं रही है। विभागाध्यक्षों का स्वत: या अनिवार्य चक्रानुक्रम समाप्त कर देना चाहिए। संबंधित विभाग के डीन और प्रोफेसरों की राय से कुलपति की विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए। नियुक्ति 5 वर्ष के लिए हो। लगातार दूसरी बार उसी व्यक्ति के विभागाध्यक्ष बनने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन विभाग का काम कई समितियों की सहायता से चलाना चाहिए।

बारी बारी से अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था सफल नहीं रही है। विभागध्यक्षों का स्वत: या अनविार्य चक्रानुक्रम समाप्त कर देना चाहिए। संबंधित विभाग के डीन और प्रोफेसरों की राय से कुलपति को विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए। नियुक्ति 3-5 वर्ष के लिए हो। लगातार दूसरी बार उसी व्यक्ति के विभागाध्यक्ष बनने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन विभाग का काम कई समितियों की सहायता से चलाना चाहिए।

प्राधिकरण, निकाय और समितियां (अध्याय 10)

सीनेट

69. सीनेट/कोर्ट को कायम रखना उचित होगा, लेकिन इनका रूप और गठन विभिन्न हो सकता है। इसका नाम समाजीय सलाहकार परिषद् का समाज परामर्शदात्री समिति रखा जा सकता है। विश्वविद्यालय सीनेट या कोर्ट विमर्शी और परामर्शदात्री निकाय होना चाहिए, निर्णायक प्राधिकरण नहीं। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषत: शिक्षा, कर्मचारियों और विश्विद्यालय के उत्पाद के प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमे केवल नामित या पदेन सदस्य होने चाहिए और इनकी संख्या संबंधन विश्वविद्यालयों में अधिकतम 100 तथा ऐकिक विश्वविद्यालयों में उससे कम होनी चाहिए। स्वीकृत

70. सीनेट, समय-समय पर, विश्वविद्यालय की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकती है और विश्वविद्यालय में सुधार तथा विकास के लिए सुझाव दे सकती है। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी सीनेट को भेजी जानी चाहिए। इसे सर्वोच्च शासी प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए और कानून बनाने या बजट पास करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्वीकृत

सिन्डीकेट/कार्यकारी परिषद् स्वीकृत

71. विश्वविद्यालय संरचना में विभिन्न उप-प्रणालियों के कार्य का समन्वय और परिवीक्षण करने के लिए सिन्डीकेट/कार्यकारी परिषद् मुख्य कार्यकारी निकाय होना चाहिए। इसे कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय प्राधिकरण होना चाहिए। इसे विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों/ निकायों/समितियों/अधिकारियों और प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों में संविधि/अध्यादेश बनाने का अधिकार होना चाहिए।

72. इसे विद्या परिषद् द्वारा पास किए गए शैक्षिक अध्यादेश/विनियम अनुमोदित करने का अधिकार तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उनसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक/वित्तीय प्रभाव न पड़ता हो। इसे नेमी प्रशासनिक निर्णयों का अधिकार सांविधिक अधिकारियों को, विशेषत: कुलपति, समकुलपति, रजिस्ट्रारों और डीनों/विभागों के निदेशकों तथा अध्यक्षों को, सौंप देना चाहिए। स्वीकृत

73. विश्वविद्यालय की संगठनात्मक संरचना में सिन्डीकेट के नाम पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है। इसे प्रबंधक मंडल कहा जा सकता है। स्वीकृत

74. विश्वविद्यालय की घटनाओं के बारे में प्रबंधक मंडल को उत्तरदायी होना चाहिए और संकट के समय इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

75. सिन्डीकेट की सदस्य संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रबंधक मंडल में सरकार के प्रतिनिधियों/नामित व्यक्तियों की संख्या कुल संख्या की तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। शेष सदस्यों में से आधे सदस्य शैक्षिक क्षेत्र से अर्थात् कालेजों के प्रिंसिपल/शिक्षक/विश्वविद्यालय के शिक्षक होने चाहिए। बाकी सदस्य अन्य क्षेत्रों यथा उद्योग, कृषि एवं व्यापार अन्य विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के विद्वान आदि होने चाहिए। सीनेट/कोर्ट में प्रबंधक मंडल के एक-तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए।

स्वीकृत

सिन्डीकेट की सदस्य संख्या 18 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी रचना इस प्रकार होनी चाहिए।

I सरकार के प्रतिनिधि/नामित व्यक्ति पदेन अर्थात् कुलपति, समकुलपति, अध्यक्ष राज्य के शिक्षा सचिव/ संयुक्त सचिव से कम पद के न हों। (एक तिहाई)।

II वरिष्ठता के आधार पर चकाकनुक्रम से, विश्वविद्यालय के शिक्षक, कालेजों के प्रिंसिपल/शिक्षक । लेकिन यदि विश्वविद्यालय संविधि में चुनाव का प्रावधान हों तो 50% चक्रानुक्रम से और 50% चुनाव द्वारा निर्वाचित शिक्षकों को दो बार से अधिक नहीं रखना चाहिए। (एक तिहाई)।

III उद्योग, कृषि, व्यापार, अन्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि के प्रतिनिधि जिन्हें कुलाध्यक्ष नामित करेगा (एक तिहाई) ऐसा कोई भी व्यक्ति नामित नहीं किया जाना चाहिए जो राजीतिक पद पर हो या विधान मंडल/संसद का सदस्य हो। सिन्डीकेट के सब सदस्य सीनेट/कोर्ट के सदस्य होने चाहिए।

विद्या परिषद्

76. विश्वविद्यालय के शैक्षिक मामलों में, पूर्ण अधिकार के साथ, समन्वय और देखभाल के लिए विद्या परिषद् मुख्य प्राधिकरण होना चाहिए। इसे शिक्षण परीक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार का स्तर बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय के शैक्षिक मामलों में, पूर्ण अधिकार के साथ, समन्वय और देखभाल के लिए विद्या परिषद् मुख्य प्राधिकरण होना चाहिए। इसे शिक्षण परीक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार का स्तर बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। संबंधन विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित समितियों होनी चाहिए।

I संबद्ध कालेजों के लिए विनियमों की सिफारिश करने वाली समिति।

II विश्वविद्यालय के विभागों में शैक्षिक मानक निश्चित करने तथा अनुसंधान का नियमन करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षण एवं अनुसंधान समिति। अत: विद्या शाखा पाठ्यक्रमों और सीमांत क्षेत्रों में नई उभरने वाली विद्या-शाखाओं को अनुमति देने के लिए व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए।

77. विद्या परिषद् को ऐसे शैक्षिक कानून/आध्यादेश/विनियम बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो अधिनियम/संविधि से भिन्न नहीं है और जिनमें पर्याप्त आवर्ती वित्तीय वचनबद्धता शामिल नहीं है।

स्वीकार नहीं किया गया।

78. शिक्षा परिषद् में 50-75 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए जिनमें

शिक्षा परिषद् में 50-75 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए जिनमें

सब संकाय अध्यक्ष और प्रोफेसरों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य शिक्षणों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सिन्डीकेट/सीनेट के अशैक्षिक सदस्य या सरकार के प्रतिनिधि विद्या परिषद् के सदस्य नहीं होने चाहिए। जिन विभागों/केन्द्रों आदि के प्रतिनिधि विद्या परिषद् के सदस्य नहीं हैं, यदि उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी हो तो, उनहें भी विद्या परिषद् की बैठक में आमंत्रित करना चाहिए।

79. बहुत से विश्वविद्यालयों में सीनेट, विद्या परिषद् और सिन्डीकेट जैसे प्राधिकरणों पर अशैक्षिक सदस्यों का आधिपत्य है। इन सदस्यों की प्रवृत्ति वातावरण को राजीतिक रंग देने की होती है। इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि राजनीतिक दल या राजनीतिक विश्वविद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप न करें।

80. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों/निकायों सीनेट, सिन्डीकेट, विद्या परिषद् की सदस्यता के लिए चुनाव पद्धति को पूर्णत: छोड़ देना चाहिए। प्रतिनिधित्व योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए। प्राधिकरणों के गठन के लिए कोई और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

सब संकाय अध्यक्ष प्रोफेसरों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य शिक्षकों के प्रतिनिधि भी शामिल है। प्रतिनिधित्व, वरिष्ठता के आधर पर, चक्रानुक्रम से होना चाहिए। प्रबंधक मंडल के अशैक्षिक सदस्य या सरकार के प्रतिनिधि विद्या परिषद् के सदस्य नहीं लेने चाहिए। जिन विभागों/केन्द्रों आदि के प्रतिनिधि विद्या परिषद् के सदस्य नहीं हैं, यदि उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी हो तो , उन्हें भी विद्या परिषद् की बैठक में आमंत्रित करना चाहिए।

सीनेट, प्रबंधक मंडल और विद्या परिषद् जैसे विश्वविद्यालय निकायों में शैक्षिक लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए । इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि विश्वविद्यालयों के वातावरण में राजनीति का दखल न हो। विश्वविद्यालयों के प्रशसन में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कुलपतियों को पूरा प्रयास करना चाहिए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों/निकायों सीनेट, प्रबंधक मंडल, विद्या परिषद् आदि की सदस्यता के लिए चुनाव कम से कम होना चाहिए। प्रतिनिधित्व योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए। परन्तु सीनेट जैसे कुछ निकायों में कुछ अंश तक, चुनाव की व्यवस्था की जा सकती है।

संकाय परिषदें

81. प्रत्येक संकाय में संकाय अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संकाय परिषद् होनी चाहिए। वह परिषद् संकाय के सब विभागों के शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार कायक्रमों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। इसे विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा बनाई गई बुनियादी नीतियों को व्यावहारिक मार्गदर्शी सिद्धांतों में बदलने पर जोर देना चाहिए, ताकि विभाग उनका पालन कर सकें। संकाय अध्यक्ष को पर्याप्त अधिकार देने की जरूरत है ताकि वह विभागों के शैक्षिक कार्यों का समन्वय और परिवीक्षण कर सके।

प्रत्येक समितियां

82. प्रत्येक विद्या शाखा में एक पाठ्य समिति होनी चाहिए। इन समितियों के 20% सदस्य बाहरी विशेषज्ञों में से, 20 % उपभोक्ता एजेन्सियों से और शेष 60 % संबंधित विद्या शाखा में शिक्षण कार्य करने वाले संकाय सदस्यों में से होने चाहिए।

स्वीकृत

प्रत्येक विद्या शाखा में एक पाठ्य समिति होनी चाहिए। इन समितियों के 20 % सदस्य बाहरी विशेषज्ञों में से, 20 % उपभोक्ता एजेन्सियों में से और शेष 60 % संबंधित विद्याशाखा में शिक्षण कार्य करने वाले संकाय सदस्यों में से होने चाहिए। संबंधन विश्वविद्यालयों में दो समितियां होनी चाहिए:

I पूर्वस्नातक पाठ्य समिति।

II स्नातकोत्तर पाठ्य एवं अनुसंधान समिति।

पूर्व स्नातक समितियों में 2 % सदस्य कालेजों से होने चाहिए।

स्नातकोत्तर समितियों में भी कालेज के शिक्षकों के कुछ प्रतिनिधि होने चाहिए।

83. जहां कहीं अध्ययन के लिए अंत:विद्या शाखा कार्यक्रम उपलब्ध है, वहां अंत: विद्या शाखा पाठ्य समितियां होनी चाहिए। — स्वीकृति

अन्य निकाय/समितियां।

84. प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रणाली में सांविधिक निकायों/समितियों के रूप में कुछ समितियों के गठन की सिफारिश की गई है। ऐसी समितियां है: वित्त समिति, योजना एवं परिवीक्षण समिति, अनुसंधान समिति, विस्तार समिति, मूल्यांकन समिति, दाखिला एवं शैक्षिक कार्यानुसूची समिति, शिकायत निवारण समिति, कालिजियेट परिषद् और स्टाफ/छात्र कल्याण समिति आदि। लेकिन ये समितियां विश्वविद्यालय के संबद्ध प्राधिकरणें सिन्डीकेट और विद्या परिषद् के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। अधिकारियों की अधिकता से बचने के लिए एक समकुलपति/संकाय अध्यक्ष/निदेशक के अधीन एक से अधिक समितियां हो सकती हैं। — स्वीकृत

85. समितियों में वरिष्ठता या चक्रानुक्रम या किसी अन्य शैक्षिक कसौटी के आधार पर केवल नामित सदस्य होने चाहिए। इनका कार्यकाल प्राधिकरणों से कम होना चाहिए। — स्वीकृत

86. विश्वविद्यालय का संबंधित कार्यकारी अधिकारी जो संबद्ध कार्य का प्रभारी भी है, समिति का सदस्य सचिव होना चाहिए। उसे बैठकों का आयोजन करने तथ परिवर्ती कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। और इन समितियों, प्राधिकरणों तथा सांविधिक अधिकारियों के बीच कड़ी का काम करना चाहिए।

87. समितियों और प्राधिकरणों का परस्पर संबंध स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि समितियों और उनकी सिफारिशों की आसानी से उपेक्षा न की जा सके।

88. सब संबंधित मामलों के समूह बनाकर और उन्हें एक ही समिति के कार्यक्षेत्र में लाकर, समितियों/निकायों के विचार्थ विषय निश्चित किए

स्वीकृत

87, 88 और 89

निम्नलिखित निकायों/समितियों को सांविधिक बनाया जाना चाहिए और उनकी भूमिका स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए ताकि ये निर्णायक इकाइयों के रूप में काम कर सकें:

1. योजना एवं परिवीक्षण समिति
2. वित्त समिति
3. मूल्यांकन समिति
4. दाखिला एवं शैक्षिक कार्यानुसूची समिति
5. शिक्षकों/प्रिंसिपलों के लिए चयन समिति

ये समितियां यथासंभव छोटी और सुगठित होनी चाहिए। उक्त निकायों/समितियों और अन्य समितियों के जो विश्वविद्यालय द्वारा बनाई

जाने चाहिए। इससे न केवल समितियों की बहुलता और दोहरापन खत्म होना बल्कि निर्णय भी शीघ्र किया जा सकेगा।

89. एक मूल्यांकन समिति को विश्वविद्यालय में परीक्षा पद्धति/मूल्यांकन पद्धति के संचालन, समीक्षा और सुधार के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए।

जाएं, कार्य/उत्तरदायित्व निश्चित होने चाहिए। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से उनका पारस्परिक संबंध भी सुनिश्चित होना चाहिए ताकि प्राधिकरण इनकी सिफारिशों को लागू कर सकें और दोहरापन न हो।

वित्त समिति अनुमोदित बजट में ही किए जाने वाले सब खर्च के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। बजट से बाहर हुए खर्च के लिए मुख्य कार्यकारी अर्थात् कुलपति जवाबदेह होना चाहिए।

प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन इस प्रकार होना चाहिए। :

1. कुलपति (अध्यक्ष)
2. कुलाध्यक्ष का नामिती
3. संकाय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
4. तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य न हों। इनका चुनाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई नामावली में से कुलपति द्वारा किया जाएगा। पांच सदस्यों से कोरम पूरा होगा, जिनमें, कम से कम, दो विशेषज्ञ होने चाहिए।

रीडर और लेक्चरर के पदों के लिए भी चयन समिति इसी प्रकार

गठित की जानी चाहिए। अंतर केवल यह है कि इसका अध्यक्ष कुलपति या समकुलपति हो सकता है और इसमें केवल दो विशेषज्ञ हो सकते हैं। कोरम चार सदस्यों का होगा जिसमें दो विशेषज्ञ होंगे।

नोट:

शिक्षकों के पद खाली होने पर छह मास के भीतर भरे जाने चाहिए। समिति का विचार था कि पदमुक्त होने वाले कुलपतियों को अपने कार्यकाल के अंतिम तीन मास में कोई नई नियुक्ति नहीं करनी चाहिए।

कालेज के प्रिंसिपल पद के लिए चयन समिति में तीन सदस्य होने चाहिए। इनमें से एक सदस्य कालेज की प्रबंध समिति का नामिती होगा, एक सदस्य उस विश्वविद्यालय का नामित भी होगा जिससे कालेज संबद्ध है और एक सदस्य, यथा स्थिति राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार का नामिती होगा। चयन प्रक्रिया में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए क्योंकि कुछ राज्यों में उच्च शिक्षा आयोगों के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं और सरकारी कालेजों के लिए चयन प्रक्रिया भी भिन्न होती है।

अनुसंधान और विस्तार (अध्याय 11)

90. एक अनुसंधान समिति और एक विस्तार कार्य समिति होनी चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि और उत्तर जीविता, काफी हद

एक अनुसंधान समिति और एक विस्तार कार्य समिति होनी चाहिए। कुलपति या उसके नामित व्यक्ति को इन समितियों का अध्यक्ष होना चाहिए। अनुसंधान समिति में अनुसंधान प्रयोगशालाओं उद्योग और

तक, अनुसंधान के माध्यम से नये ज्ञान की उत्पत्ति और प्रसार पर निर्भर होती है। अनुसंधान निवेश की कमी से संस्था 'शिक्षण शाला' बन कर रह जाएगी जिसकी उपज, अंतत: निष्फल और समाज का मार्गदर्शन करने में असमर्थ होगी।

अन्य उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि होने चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि और उत्तरजीविता, काफी हद, तक, अनुसंधान के माध्यम से नये ज्ञान की उत्पत्ति और प्रसार पर निर्भर होती है।

91. सब विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में विस्तार की व्यवस्था स्पष्ट शब्दों में की जानी चाहिए।

सब विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में विस्तार की व्यवस्था स्पष्ट शब्दों में की जानी चाहिए। समुचित कानून बना कर विस्तार कार्य को उपाधि प्रदान करने से जोड़ा जा सकता है।

सामान्य प्रशासन, वित्त और परीक्षाओं का प्रबंध (अध्याय 12)

92. विश्वविद्यालय के सब प्राधिकरणों, यथा कार्यकारी परिषद्, सिन्डीकेट, विद्या परिषद्, कोर्ट/सीनेट, का सचिव रजिस्ट्रार सामान्य प्रशासन होना चाहिए।

विश्वविद्यालय के सब प्राधिकरणों, यथा प्रबंधक मंडल, विद्या परिषद् और कोर्ट/सीनेट, का सचिव रजिस्ट्रार होना चाहिए।

93. समकुलपति वित्त को स्वीकृति देने, प्राधिकार देने और पुनर्विनियोजन करने का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय को विकेन्द्रीकृत वित्त व्यवस्था के लिए समुचित मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित करने चाहिए। इनमें कुलपति समकुलपति, संकाय अध्यक्ष, और विभागाध्यक्ष आदि अधिकारियों के लिए स्वीकृत बजट में से धनराशि की स्वीकृति देने और पुनर्विनियोजन करने की सीमाएं और अधिकार स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए।

स्वीकृत

94. विश्वविद्यालयों को अपने ही वित्त अधिकारी नियुक्त करने चाहिए, चाहे वे निश्चित अवधि के आधार पर ही क्यों न हों। उसका पदनाम रजिस्ट्रार वित्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति मूलत: शिक्षाविद् हों जो वित्त प्रबंध में निपुण हों।

वित्त अधिकारी की नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा होनी चाहिए। वित्त प्रबंध का समुचित अनुभव वाले सरकारी/स्वायत्त/सार्वजनिक संस्थाओं के व्यक्ति भी पद के लिए पात्र होंगे।

95. हमारी राय है कि :

(क) अन्य राज्य सरकारों की तरह दिल्ली के कालेजों की अनुरक्षण अनुदान दिल्ली प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिए।

समिति का विचार था कि यह सिफारिश विश्वविद्यालयों के प्रबंध से संबद्ध नहीं है और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाए।

(ग) विश्वविद्यालयों में अक्षय निधि बनाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है ताकि ये अंतत: आत्मनिर्भर हो जाएं और दैनिक कार्यों के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर न रहें।

स्वीकार नहीं की गई

96. परीक्षा नियंत्रक का पदनाम रजिस्ट्रार परीक्षाएं कर देना चाहिए।

स्वीकार नहीं की गई

97. विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी कार्य के लिए काफी समय से कम्प्यूटरों का प्रयोग हो रहा है। वित्त, बजट, स्टाफ सूची, वेतन पत्रक,

स्वीकृत

पुस्तकालय सेवाओं और संपदा प्रबंध जैसे प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इनका कारगर ढंग से प्रयोग किया जा सकता हैं

98. कुलपति, समकुलपति, रजिस्ट्रार आदि को इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा संसाधन की सुविधा दी जानी चाहिए और इसे टर्मिनल द्वारा संकाय अध्यक्षों , विभागाध्यक्षों आदि से जोड़ना चाहिए।

स्वीकृत

99. यद्यपि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), दिल्ली ने प्रशिक्षण की दिशा में प्रयास किया है लेकिन वह सब विश्वविद्यालयों के सब अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में समर्थ नहीं है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के शैक्षिक प्रशासकों को निरंतर प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण देने के लिए नीपा जैसे राज्य स्तरीय संस्थान या अकादमिक स्टाफ कालेज जैसी संस्था की आवश्यकता है।

यद्यपि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) दिल्ली ने प्रशिक्षण की दिशा में प्रयास किया है लेकिन वह सब विश्वविद्यालय के सब अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में समर्थ नहीं है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के शैक्षिक प्रशासकों को निरंतर प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण देने के लिए नीपा जैसे राज्य स्तरीय संस्थान या अकादमिक स्टाफ कालेज जैसी संस्था की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए पहले ही एक समिति नियुक्त कर दी है।

शिकायत निवारण

100. शिकायतों को जल्दी निपटाना चाहिए और प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कितने समय में शिकायतों का उत्तर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों या समूहों को दिया जाना चाहिए।

स्वीकृत

101. विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा के कारण होने वाले विवाद को कर्मचारी की प्रार्थना पर, पंच फैसले के लिए ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा और उसके विरूद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई मुकद्मा दायर नहीं किया जाना चाहिए।	स्वीकृत
102. इसके अतिरिक्त, राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए एक स्थायी ट्रिब्यूनल हो सकता है। अच्छा हो कि यह ट्रिब्यूनल सांविधिक निकाय हो जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त/आसीन जज हो। प्रोफेसर, प्रिंसिपल जैसे शिक्षाविद् सहायता कर सकते है। ऐसी परिपाटी शुरू करनी चाहिए कि राज्य ट्रिब्यूनल का फैसला सब संबंधित पक्षों को स्वीकार करना चाहिए और संबंधित पक्ष इसके बाद अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाऐंगे।	स्वीकृत
कालेज और उनका प्रबंध (अध्याय 13)	स्वीकृत
103. प्रत्येक कालेज को शैक्षिक, सामाजिक और अन्य उद्देश्य के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने कार्मिक व अन्य संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए।	
104. प्रत्येक कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों में स्वायत्त कालेजों के लिए बताई गई प्रबंध संरचना के लिए प्रयत्न	प्रत्येक कालेज को युक्तिसंगत प्रबंध ढांचे के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शासी निकाय और प्रिंसिपल द्वारा अधिकारों का स्पष्ट प्रत्यायोजन

करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय सरकारी कालेजों के संबंध में राज्य सरकार से और अन्य कालेजों के संबंध में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से सलाह करके इनमें संशोधन कर सकते हैं।

105. कालेज का शैशिक्ष और प्रशासनिक प्रधान होने के नाते प्रिंसिपल कालेज का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसकी नियुक्ति कड़ी खोज और चयन प्रकिया के आधार पर होनी चाहिए।

106. कालेज के लिए अपने कैम्पस कार्य-कलापों को (अ) शैक्षिक कार्य, (आ) छात्र-संबंधी कार्य और (इ) व्यावसायिक कार्य में श्रेणीबद्ध करना और उनका प्रबंध करना अभीष्ट होगा। प्रत्येक कार्य एक सक्षम संकाय सदस्य को सौंपा जा सकता है और उसका पद नाम संकाय अध्यक्ष या वाइस प्रिंसिपल या निदेशक या कोआर्डिनेटर हो सकता है। वह तीन वर्ष तक इस पद पर रह सकता है।

107. प्रत्येक प्रमुख कार्य के प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिए यथा स्थिति दो या तीन शिक्षकों/होस्टल वार्डनों आदि की एक छोटी समिति होनी चाहिए। छात्र संबंधी कार्य समिति में छात्रों को भी शामिल करना चाहिए।

होना चाहिए। छात्र/शैक्षिक कार्यों, जैसे दाखिला, छात्रवृत्ति आदि, के लिए समितियां बनाई जा सकती है। प्रत्येक कालेज अपने प्रकार, कार्यक्रम और संसाधनों के आधार पर ज्ञानम् समिति द्वारा बताए गए नमूने में परिवर्तन कर सकता है।

कालेज का शैक्षिक और प्रशासनिक प्रधान होने के नाते प्रिंसिपल कालेज का महत्वपर्ण व्यक्ति है। उसकी नियुक्ति कड़ी खोज और चयन प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जा सकती है और दुबारा नियुक्ति/तबादले की व्यवस्था की जा सकती है।

कालेज के लिए अपने कैम्पस कार्य-कलापों को (अ) शैक्षिक कार्य, (आ) छात्र-संबंधी कार्य और (इ) व्यावसायिक कार्य में श्रेणीवद्ध करना और उनका प्रबंध करना अभीष्ट होमा। प्रत्येक कार्य एक सक्षम संकाय सदस्य को सौंपा जा सकता है और उसका पदनाम कोआर्डिनेटर हो सकता है। वह तीन वर्ष तक इस पद पर रह सकता है।

स्वीकृत

108. प्रत्येक कालेज में शैक्षिक आयोजन और परिवीक्षण में सहायता करने के लिए एक योजना एवं परिवीक्षण सेल होना चाहिए।	स्वीकृत
109. सब कालेजों में शिकायतें दूर करने और आंतरिक विवादों को हल करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए।	स्वीकृत
110. प्रत्येक संबंधन विश्वविद्यालय को कालेज डीन का कार्यालय स्थापित करना चाहिए और उसकी सहायता के लिए कालिजियेट परिषद् मौजूदा कालेज विकास परिषद् के बदले होनी चाहिए। कालिजियेट परिषद् कालेजों में शिक्षण के स्तर को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होनी चाहिए।	स्वीकृत
111. स्वायत्त कालेजों का स्तर कायम रहने के विचार से उनके कार्य के सतत परिवीक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को एक स्थायी सलाहकार समिति बनानी चाहिए।	स्वीकृत
112. संबंधन विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करने के बाद ही नये कालेज खोले जाने चाहिए। बड़े बहुसंकाय कालेजों का विभाजन करके विज्ञान/व्यावसायिक विषयों के लिए अलग-अलग कालेज खोलना अच्छा होगा।	संबंधन विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करने के बाद ही नये कालेज खोले जाने चाहिए।

113. कालेजों के संबंधन का अधिकार केवल विश्वविद्यालयों का होना चाहिए और शैक्षिक आधार के अतिरिक्त और किसी बात पर विचार नहीं करना चाहिए। संबंधन की शर्तें निश्चित करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए।

अनुदान के मामले में राज्य सरकार की सहमति से, कालेजों के संबंधन का अधिकार केवल विश्वविद्यालय को है। संबंधन की शर्तें निश्चित करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए।

114. राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, समय-समय पर पूरे देश के संबद्ध कालेजों के लिए अनुदान की एक तर्कसंगत एकसमान और ठोस प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

स्वीकृत

विकेन्द्रीकरण - व्यवहार में (अध्याय 14)

115. किसी विश्वविद्यालय का विभाग इसकी मूल परिचालन इकाई होती है। अत: इसे अधिक शैक्षिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों तथा स्वतंत्रता के साथ काम करने योग्य बनाना चाहिए।

स्वीकृत

116. विश्वद्यिालय के संबंधित प्राधिकरणों, तथा कार्यकारी परिषद्/सिन्डीकेट और विद्या परिषद्, को उचित रिपोर्ट प्रणाली के माध्यम से विभागों के काम का पर्यवेक्षण करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि विभाग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें और अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के लिए जवाहदेह हों।

विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकरणों, तथा प्रबंधक मंडल और विद्या परिषद् को उचित रिपोर्ट प्रणाली के माध्यम से विभागों के काम का पर्यवेक्षण करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि विभाग अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग न करें और अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह हों।

117. संकाय परिषद् बीच के स्तर पर निर्णायक निकाय होना चाहिए। इसमें संकाय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह विभागों और उच्च प्राधिकरणों तथा कार्यपालकों के बीच अंत:विभागीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है।	स्वीकृत
118. विश्वविद्यालय संरचना की सबसे बड़ी इकाई संस्थानों में एक या अधिक संकायों के कई समवर्गी विषयों या प्रशासनिक, शैक्षिक और वित्तीय दृष्टि से पूर्ण स्वायत्त होना चाहिए और, जहां तक संभव हो, प्रत्येक घटक इकाई तक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।	विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकरणों, यथा प्रबंधक मंडल और विद्या परिषद्, को उचित रिपोर्ट प्रणाली के माध्यम से विभागों के काम का पर्यवेक्षण करना चाहिए। उनहें देखना चाहिए कि विभाग अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह हों ।
119. विश्वविद्यालय के मुख्यालय को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्थापित किए गए विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्रों को भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के ढांचे में शैक्षिक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता की जानी चाहिए।	स्वीकृत
राष्ट्रीय/सहकारी सुविधाएं (अध्याय 15)	
120. किसी विद्याशाखा में राष्ट्रीय सुविधा अंत: विश्वविद्यालय केन्द्र का प्राथमिक उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान के लिए प्रथम श्रेणी की सुविधा प्रदान करना है। ऐसी सुविधा विश्वविद्यालय के ढांचे में न तो मिल सकती है और न ही उसकी व्यवस्था की जा सकती है। यह सुविध	स्वीकृत

ा देश के सब अन्य विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के स्टाफ और छात्रों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

121. ऐसे राष्ट्रीय केन्द्र विश्वविद्यालय कैम्पस में पंजीकृत सोसायटी के रूप में खोले जा सकते हैं। ये स्वायत्त संस्था के रूप में काम करते हैं और इन्हें पूर्ण शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा बजट संबंधी स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसके प्रबंध में निधीयन एजेन्सी और आतिथेयी विश्वविद्यालय दोनों को शामिल किया जाना चाहिए।	ऐसे राष्ट्रीय केन्द्र विश्वविद्यालय केम्पस में पंजीकृत सोसायटी के रूप में खोले जा सकते हैं। ये स्वायत्त संस्था के रूप में काम करते हैं और इन्हें पूर्ण शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा बजट संबंधी स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसके प्रबंध में प्रयोक्ता संस्थाओं की प्रतिनिधि के रूप में निधीयन एजेन्सी और आतिथेयी विश्वविद्यालय दोनों को शामिल किया जाना चाहिए।
122. उद्योगों और अन्य संगठनों को विश्वविद्यालय के कैम्पस में स्वायत्त अनुसंधान संस्थाएं/सेवा सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना वांछित है। इन्हें पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया जा सकता है और इनकी प्रबंध संरचना राष्ट्रीय सुविधाओं के समान होगी।	स्वीकृत
123. विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में उपरोक्त सुविधाओं की स्थापना की व्यवस्था होनी चाहिए।	स्वीकृत

विश्वविद्यालय और इसका उत्तरदायित्व (अध्याय 16)

124. शैक्षिक समुदाय को, अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष	शैक्षिक समुदाय को अलग-अलग तथा सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष

तथा प्रकट तौर पर समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

125. (क) विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष एक शैक्षिक कार्यानुसूची तैयार करनी चाहिए जिसमें दाखिले, शैक्षिक सत्र की समय-सारिणी, छुट्टियां, परीक्षाओं परिणामों की घोषणा आदि की तारीखें दी हों। प्रत्येक विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यानुसूची लागू करनी चाहिए ताकि अंतत: राज्य के सब विश्वविद्यालयों में एक ही कार्यानुसूची लागू की जा सके।

(ख) कुलपति को अपनी शैक्षिक रिपोर्ट ऐसे राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय निकायों को देनी चाहिए जो विश्वविद्यालय प्रणाली के परिचालन और वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। रिपोर्ट में समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा करने और शिक्षण तथा अनुसंधान का स्तर सुधारने में विश्वविद्यालय के कार्यों का उल्लेख होना चाहिए। विश्वविद्यालय के उच्चतम शैक्षिक तथा प्रशासनिक निकायों में भी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए।

(ग) संकाय अध्यक्षों और निदेशकों, विभागाध्यक्षों आदि अन्य शैक्षिक अधिकारियों द्वारा भी उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। और इन पर उचित शैक्षिक निकायों तथा प्राधिकरणों द्वारा विचार किया जाना चाहिए कालेजों को भी ऐसी रिपोर्ट अपने शासी निकायों और विश्वविद्यालय को देनी चाहिए।

तौर पर, समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

(क) विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष एक शैक्षिक कार्यानुसूची तैयार करनी चाहिए जिसमें दाखिले, शैक्षिक सत्र की समय-सारिणी, छुट्टियों, परीक्षाओं परिणामों की घोषणा आदि की तारीखें दी हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय को ऐसी कार्यानुसूची लागू करनी चाहिए ताकि राज्य के सब विश्वविद्यालयों में एक ही कार्यानुसूची लागू की जा सके।

(ख) कुलपति को अपनी शैक्षिक रिपोर्ट ऐसे राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय निकायों को देनी चाहिए जो विश्वविद्यालय प्रणाली के परिचालन और वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। रिपोर्ट में शिक्षण तथा अनुसंधान का स्तर सुधारने में विश्वविद्यालय के कार्यों का उल्लेख होना चाहिए। विश्वविद्यालय के उच्चतम शैक्षिक तथा प्रशासनिक निकायों में भी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए हौर इस पर बहस होनी चाहिए। यह रिपोर्ट संसद/विधान मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ग) संकाय अध्यक्षों और निदेशकों, विभागाध्यक्षों आदि अन्य शैक्षिक अधिकारियों द्वारा भी प्रगति रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और इन पर उचित शैक्षिक निकायों तथा प्राधिकरणों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। कालेजों को भी ऐसी रिपोर्ट अपने शासी निकायों और विश्वविद्यालय को देनी चाहिए।

(घ) संस्थान/संकाय/स्कूल आदि और शिक्षण विभागों तथा अलग-अलग शिक्षकों के लिए एक "शैक्षिक लेखा परीक्षा" की जा सकती हैं यह कार्य स्व-मूल्यांकन और पीयर वर्गों द्वारा किया जा सकता है। इन वर्गों में विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य और अन्य विश्वविद्यालयों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई सी एच आर) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई सी ए आर) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई सी एस एस आर) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) जैसे व्यावसायिक निकायों तथा अनुसंधान संस्थाओं आदि के आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। लेखा परीक्षा समिति को शैक्षिक कार्यक्रमों के सब पहलुओं, यथा शिक्षण अनुसंधान, विस्तार, पाठ्यचर्या विकास, परीक्षा पद्धति आदि पर ध्यान देना चाहिए।

(ड़) पीयर वर्गों के माध्यम से सामान्य प्रशासन के एककों और अन्य सहायक एककों की प्रशासनिक लेखा परीक्षा कराई जानी चाहिए।

(च) इन लेखा परीक्षाओं का उद्देश्य एककों को सौंपे गए कार्य में उनकी दक्षता के स्तर की जांच करना और सुधार के लिए उपाय

(घ) संस्थान/संकाय/स्कूल आदि और शिक्षण विभागों तथा अलग-अलग शिक्षकों के लिए एक "शैक्षिक मूल्यांकन" किया जा सकता है। यह कार्य स्व मूल्यांकन और पीयर वर्गों द्वारा किया जा सकता है। इन वर्गों में विश्वविद्यालयों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई सी एच आर) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई सी एस एस आर), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) जैसे व्यावसायिक निकायों तथा अनुसंधान संस्थाओं आदि के आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। मूल्यांकन समिति को शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ पहलुओं, यथा शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार, पाठ्यचर्या विकास, परीक्षा पद्धति आदि पर ध्यान देना चाहिए।,

(ड़) पीयर वर्गों के माध्यम से सामान्य प्रशासन के एककों और अन्य सहायक एककों की प्रशासनिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।

(च) इन मूल्यांकनों का उद्देश्य एककों को सौंपें गए कार्य में उनकी दक्षता के स्तर की जांच करना और सुधार के लिए उपाय सुझाना

सुझाना है। ये रिपोर्ट भी विश्वविद्यालय के समुचित निकायों में पेश की जानी चाहिए और इन पर बहस होनी चाहिए।

विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की कसौटी

126. विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कसौटी विकसित करने की जरूरत है। इसमें मुख्यत: निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(1) भूतपूर्व छात्रों का कार्य-निष्पादन, संकाय सदस्यों की उपलब्धियों और छात्रों की उपलब्धियां।

(2) आंतरिक कार्यप्रणाली जिसमें वास्तविक शिक्षण दिवसों की संख्या, शिक्षकों का कार्य-भार, शैक्षिक कार्यानुसूची का अनुपालन, उचित ढंग से और समय पर परीक्षाएं लेना और उनका परिणाम घोषित करना, अनुशासन की स्थिति आदि का संकेत होना चाहिए।

(3) विद्धता, नवीन ज्ञान, निधि संचयन, जनसंपर्क, सामाजिक कार्य और आर्थिक विकास आदि में विश्वविद्यालय का योगदान।

(4) कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन निष्पक्ष जानकार व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और प्राप्त अंकों/परिणाम के आधार

है। ये रिपोर्ट भी विश्वविद्यालय के समुचित निकायों में पेश की जानी चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए।

प्रत्यायन परिषद् को विश्वविद्यालयों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कसौटी का विकास करना चाहिए। इसमें मुख्यत: निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(1) भूतपूर्व छात्रों का कार्य-निष्पादन, संकाय सदस्यों की उपलब्धियां और छात्रों की उपलब्धियां।

(2) आंतरिक कार्यप्रणाली जिसमें वास्तविक शिक्षण दिवसों की संख्या, शिक्षकों का कार्यभार, शैक्षिक कार्यानुसूची का अनुपालन, उचित ढंग से और समय पर परीक्षाएं लेना और उनका परिणाम घोषित करना, अनुशासन की स्थिति आदि का संकेत होना चाहिए।

(3) विद्धता, नवीन ज्ञान, निधि संचयन, जनसंपर्क, सामाजिक कार्य और आर्थिक विकास आदि में विश्वविद्यालय का योगदान।

(4) कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन निष्पक्ष जानकार व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और प्राप्त अंकों/परिणाम के आधार

पर विभिन्न विश्वविद्यालयों को अभिज्ञेय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

पर विभिन्न विश्वविद्यालयों को अभिज्ञेय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के स्तर को ऐसे वर्गीकरण से जोड़ देना चाहिए।

शिक्षक, छात्र, शिक्षाकेत्तत्र कर्मचारी और अन्य विषय (अध्याय 17)

127. विश्वविद्यालय संगठन के विभन्न क्षेत्रों में निर्णय करने तथा उसे लागू करने में न केवल शिक्षकों की भागीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, बल्कि प्रेरक संरचना और वातावरण द्वारा इसे प्रोत्साहन भी देना चाहिए।

स्वीकृत

128. शिक्षाकेतर कर्मचारियों के लिए परामर्शदात्री समितियां होनी चाहिए जिनमें कर्मचारियों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। सीनेट/कोर्ट जैसे विमर्शी निकायें में शिक्षाकेत्तर और तकनीकी कर्मचारियों का कुछ प्रतिनिधित्व हो सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों या निकायों में ऐसे कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है।

स्वीकृत

129. विश्वविद्यालय प्रबंध में छात्रों की भागीदारी निम्नलिखित ढंग से होनी चाहिए:

विश्वविद्यालय प्रबंध में छात्रों की भागीदारी निम्नलिखित ढंग से हानी चाहिए।

(क) छात्रों को सीनेट/कोर्ट में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन सिन्डीकेट, विद्या परिषद् और पाठ्य समिति जैसे अन्य

(क) छात्रों को सीनेट/कोर्ट में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन सिन्डीकेट, विद्या परिषद् और पाठ्य समिति जैसे अन्य

निकायों में भाग लेने का अवसर नहीं देना चाहिए।

(ख) कुलपति या समकुलपति या छात्र कल्याण डीन को छात्रों के प्रतिनिधियों को नामित करना चाहिए। इन प्रतिनिधियों का चुनाव पाठ्यचर्या, सह-पाठ्यचारी और पाठ्येतर क्रियाकलापों में छात्रों की योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

(ग) निम्नलिखित फोरमों में छात्रों की भागीदारी अब आवश्यक होनी चाहिए:

1. छात्रों के सामूहिक जीवन और पाठ्येतर तथा सहपाठ्यचारी क्रियाकलापों से संबंधित समितियां।

2. आवासें / छात्रावासों आदि की सलाहकार समितियां।

3. खेल, समाज सेवा और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की समितियां।

130. राज्यस्तरीय समिति के गठन से, जैसी कि मध्य प्रदेश में है, छात्रों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और मजबूत करने में निश्चय ही सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक छात्र परिषद् होनी चाहिए जैसा कि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में है।

निकायों में भाग लेने का अवसर नहीं देना चाहिए। छात्र संघ के अध्यक्ष और सचिव सीनेट के पदेन सदस्य होने चाहिए।

(ख) कुलपति या समकुलपति या छात्र कल्याण डीन को छात्रों के प्रतिनिधियों को नामित करना चाहिए। सीनेट और अन्य शैक्षिक समितियों में विभागीय स्तर पर इन प्रतिनिधियों का चुनाव योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

(ग) निम्नलिखित फोरमों में, नामन या चुनाव द्वारा, छात्रों की भागीदारी आवश्यक होनी चाहिए:

1. छात्रों के सामूहिक जीवन और पाठ्येतर तथा सहपाठ्यचारी क्रियाकलापों से संबंधित समितियां।

2. आवासों/छात्रावासों आदि की सलाहकार समितियां।

3. खेल, समाज सेवा और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की समितियां।

राज्य स्तरीय समिति के गठन से, जैसी कि मध्य प्रदेश में है, छात्रों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और मजबूत करने में निश्चय ही सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक छात्र परिषद् होनी चाहिए जैसा कि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में है।

विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/संविधियों में, छात्रसंघ सहित, छात्र संगठन बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन संगठनों की सदस्यता ऐच्छिक होनी चाहिए।

131. राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् या कुलपतियों की समिति को विश्वविद्यालयों में छात्रों के कल्याण और छात्र सेवाओं की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए।

स्वीकृत

132.. विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्र रोजगार समितियां होनी चाहिए। इन समितियों को विभिन्न प्रकार के नियोक्ताओं और रोजगार एजेन्सियों से घनिष्ठ संपर्क रखना चाहिए। इसका उद्देश्य इन नियोक्ताओं और रोजगार एजेन्सियों की प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकताएं ज्ञात करना और शिक्षा समितियों को ऐसी आवश्यकताओं की पूति के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के बारे में सलाह देना है। छात्र रोजगार समितियों को लंबी छुट्टियों के दौरान छात्रों के लिए रोजगार/व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर खोजने पर जोर देना चाहिए। यदि संभव हो तो रोजगार और प्रशिक्षण को छात्रों के पाठ्यचर्या कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए जैसा कि प्रौद्योगिकी और प्रबंध पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय और कालेजों में छात्र नियोजन समितियां होनी चाहिए। इन समितियों को विभिन्न प्रकार के नियोक्ताओं और रोजगार एजेन्सियों से घनिष्ठ संपर्क रखना चाहिए। इसका उद्देश्य इन नियोक्ताओं और रोजगार एजेन्सियों की प्रशिक्षित कर्मचारियो की आवश्यकताएं ज्ञात करना और शिक्षा समितियों को ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठयक्रम तैयार करने के बारे में सलाह देना है। छात्र नियोजन समितियों को लंबी छुट्टियों के दौरान छात्रों के लिए रोजगार/व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर खोजने पर जोर देना चाहिए। यदि संभव हो तो रोजगार और प्रशिक्षण को छात्रों के पाठ्यचर्या कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए जैसा कि प्रौद्योगिकी और प्रबंध पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए किया जा रहा है।

133. विश्वविद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न मामलों जैसे शैक्षिक, वैवाहिक, सेक्स संबंधी, खेल, शोक आदि के बारे में समाकथित परामर्शदात्रा सेवा आवश्यक है।

विश्वविद्यालयों में परिवारिक जीवन, व्यक्तिगत परामर्श, ऐड्स आदि के बारे में समकलित परामर्शदात्री सेवा आवश्यक है।

134. कानून द्वारा हड़तालों का नियमन होना चाहिए। शिकायत दूर कने के कानूनी तरीकों को अपनाए बिना और पर्याप्त नोटिस जैसे कम से कम 4 या 6 सप्ताह दिए बिना हड़ताल करना गैर कानूनी होना चाहिए।

स्वीकृत

135. आंदोलन के कुछ तरीकों जैसे घेराव, शिक्षकों या अधिकारियों के घरों पर धरना, अपमानजनक नारेबाजी, गाली-गलौज, घृणा और हिंसा फैलाने के लिए प्रचार, हिंसा के लिए तैयारी या संपत्ति की बरबादी पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए।

आंदोलन के कुछ तरीकों जैसे घेराव, शिक्षकों या अधिकारियों के घरों पर धरना, अपमानजनक नारेबाजी, गाली-गलौज, घृणा और हिंसा फैलाने के लिए प्रचार, हिंसा के लिए तैयारी या संपत्ति की बरबादी पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए।

चूंकि परिपाटी के अनुसार जब तक विश्वविद्यालय के अधिकारी प्रार्थना न करें, पुलिस कैम्पस में प्रवेश नहीं करती अत: असामाजिक कार्यकलापों के लिए कैम्पस का दुरुपयोग किया जाता है। कानून का उल्लंघन होने पर, विश्वविद्यालय अधिकारियों की प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना ही, जांच-पड़ताल के लिए पुलिस का केम्पस में आना संभव होना चाहिए।

136. शिक्षकों के लिए आचार संहिता, शिक्षाकेतर कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता बनाई जानी चाहिए। ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय समुदाय के प्रत्येक भाग अर्थात् शिक्षकों, शिक्षाकेतर कर्मचारियों और छात्रों को इन संहिताओं की पूरी-पूरी जानकारी हो।

विश्वविद्यालय प्रबंध के वैकल्पिक मॉडल (अध्याय 16)

137. प्रस्तावित नमूने, अनिवार्यत: समन्वेषी किस्म के है लेकिन उन्हें व्यवहार्य, संचालनीय और सफल बनाने के लिए इच्छाशक्ति भी है। केन्द्र बिंदु है:

(क) विश्वविद्यालय की दी हुई संरचना/प्रकार के अधीन मौजूदा प्रबंध प्रणाली की जांच करना।

(ख) मौजूदा नमूनों के ऐसे संशोधित रूप विकसित करना जिनसे प्रबंध की प्रकृति और गुणता में स्पष्ट परिवर्तन हो सके।

(ग) पूर्णत: "भिन्न" नमूनों की संभावनाओं की जांच करना, जो मौजूदा नमूनों से निश्चित रूप से अलग या विसंगत हों।

प्रस्तावित वैकल्पिक नमूनों पर उक्त परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा। निम्नलिखित वैकल्पिक नमूनो की सिफारिश की गई है।

कुलपति और प्रिंसिपल सहित, शिक्षकों के लिए आचरण संहिता और छात्रों के लिए अनुशासन संहिता बनाई जानी चाहिए। ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय समुदाय के प्रत्येक भाग अर्थात् शिक्षकों, शिक्षाकेतर कर्मचारियों और छात्रों को इन संहिताओं की पूरी-पूरी जानकारी हो।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की सिफारिश है कि केन्द्रीय/राज्य सरकार विश्वविद्यालय की प्रकृति के अनुसार कोई भी कानून नमूनों को मिलाकर उचित समन्वय भी बना सकती है, लेकिन नमूना सं॰पांच और सात को नहीं अपनाया जाए क्योंकि वे उपयुक्त नहीं पाए गए है।

1. तीन-सोपानी प्रणाली वाला एण्क संशोधित नमूना जिसमें विश्वविद्यालय प्रणाली के तीनों प्राधिकरण बनाए रखे गए हैं, लेकिन उनके स्वरूप, संगठन, पारस्परिक संबंध और पदानुक्रम में काफी परिवर्तन किया गया है।

- सीनेट/कोर्ट-परामर्शी/सिफारिशी निकाय;
- कार्यकारी परिषद्/सिन्डीकेट - मुख्य प्रशासनिक तथा वित्तीयप्राधिकरण;
- विद्या परिषद् - सब शैक्षिक मामलों में अंतिम प्राधिकरण।

(2) "द्विशाखित प्रणाली" नामक नमूना विश्वविद्यालय विभागों और संबद्ध कालेजों के पाठ्यचर्या संबंधी प्रतिबंधों से, विश्वविद्यालय विभागों शिक्षण और अनुसंधान से छुटकारा दिलाएगा। कालेजों से संबंधित शैक्षिक मामलों का निर्णय करने के लिए कालिजियेट परिषद् और विभागों के शैक्षिक मामलों का निर्णय करने के लिए अंत: विभागीय परिषद् होगी। कालेजों और विश्व विद्यालयों के लिए अलग-अलग पाठ्य समितियां होगी। इसी प्रकार कालेजों और विश्वविद्यालय विभागों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन समितियां होगी। सीनेट नहीं होगी।

(3) ऐकिक विश्वविद्यालयों, मान लिए गए विश्वविद्यालयों

और बीच के संबद्धकारी विश्वविद्यालयों के लिए, विशेष रूप से, एक दो-सोपानी नमूने का सुझाव दिया गया है। इन नमूनों में सीनेट नहीं होगी। सीनेट के अतिरिक्त और सब बातों में यह नमूना संशोधित तीन-सोपानी प्रणाली वाले नमूने जैसा ही है।

(4) बड़े संबद्धकारी विश्वविद्यालयों के विकेन्द्रीकृत नमूने में पहले चरण में क्षेत्रीय मूल्यांकन तथा संसाधन केन्द्रों (आर ई आर सी) की स्थापना और दूसरे चरण में स्वायत्त क्षेत्रीय कैम्पसों की स्थापना पर विचार किया गया है। यह नमूना ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए उपयुक्त है जिनका भौगोलिक क्षेत्र दो या तीन ज़िलों से अधिक या 50-60 कालेजों से अधिक है। ऐसे विश्वविद्यालय की जिला स्तर के या अंचल जोन स्तर के केन्द्र खोलने चाहिए। इन केन्द्रों में मूल संकाय और पुस्तकालय, केन्द्रीय साधान विनियोग तथा कम्प्यूटर सुविधाओं आदि जैसे संसाधन/सुविधा होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र ग्रामीण और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों के पिछड़े हुए कालेजों की आधार संरचना संबंधी कमी को पूरा करने में सहायक होंगे। इन नमूने में परीक्षाओं के क्षेत्रीय विकेन्द्रीकरण पर भी विचार किया गया है। क्षेत्रीय मूल्यांकन और संसाधन केन्द्रों को पूर्ण शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए और इनका संगठन विश्वविद्यालय के स्वायत्त क्षेत्रीय कैम्पसों की तरह किया जाना चाहिए।

(5) एक और नमूने में कुलपति के लिए अध्यक्षात्मक भूमिका की बात कही गई है और उसे पर्याप्त निर्णयकारी प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई है। कुलपति को ऐसा अगुआ माना गया है जो विश्वविद्यालय प्रणाली की उन्नति को स्पष्ट दिशा देने और आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। प्राधिकरण का केन्द्र होने के नाते कुलपति को सब विशेषज्ञ/सलाहकार/निकाय/समितियां गठित करने का और उनकी सलाह लेने का अधिकार होगा। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए वह पूर्णत: उत्तरदायी होगा।

(6) नये संबद्धकारी विश्वविद्यालय के नमूने में केवल कालेजों के विकास पर ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य कालेजों में शिक्षा के स्तर में श्रेष्ठता को बढ़ावा देना है ऐसे विश्वविद्यालय के अपने विभाग या स्कूल नहीं होंगे। विश्वविद्यालय अपने कालेजों के लिए संसाधन केन्द्र का काम करेगा।

(7) जिस नमूने में प्रशासनिक केन्द्र के रूप में संकाय/स्कूल का सुझाव दिया गया है, उसमें सांविधिक विभाग और अध्यक्षों के पद समाप्त करने और डीन/निदेशक के अधीन संकाय/संस्थान/स्कूल को मूल प्रशासनिक इकाई बनाने पर विचार किया

गया है। अलग-अलग विषय की विद्या शाखाओं को "क्षेत्र" कहा जाएगा और क्षेत्र समिति का प्रमुख अध्यक्ष होगा। क्षेत्र समिति प्रशासनिक उत्तरदायित्व के बिना, पाठ्यक्रम अभिकल्पन, पाठ्यविवरण निर्धारण, शिक्षण कार्य सौंपने, अनुसंधान समन्वय जैसे शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देगी।

विश्वविद्यालय मान ली गई संस्थाएं (अध्याय 19)

138. "विश्वविद्यालय मान ली गई संस्थाओं की प्रबंध संरचना में विभिन्नता है। मान लिए गए विश्वविद्यालयों के निकायों की संरचना विश्वविद्यालयों से मिलती-जुलती हो सकती है लेकिन आवश्यक नहीं कि उनके समान या एक सी हों। इससे वे अपने मूल उद्देश्यों, देशी संरचना और स्वरूप के विचार से नवपरिवर्तनकारी और प्रयोगात्मक रहेंगी।

केन्द्रीय सरकार को इनका निरीक्षण कराने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में या अलग अनुबंध में व्यवस्था की जानी चाहिए।

"विश्वविद्यालय मान ली गई संस्थाओं की प्रबंध संरचना में विभिन्नता है । मान लिए गए विश्वविद्यालयों के निकायों की संरचना विश्वविद्यालयों से मिलती-जुलती हो सकती है लेकिन आवश्यक नहीं कि उनके समान या एक-सी हो। इससे वे अपने मूल उद्देश्यों, देशी संरचना और स्वरूप के विचार से नवपरिवर्तनकारी और प्रयोगात्मक रहेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्च शिक्षा संस्थाओं को मान लिए गए विश्वविद्यालयों का दर्जा देने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में निधि प्रदान करने की व्यवस्था सहित सुनिश्चित कसौटी दी जानी चाहिए। चूंकि ऐसी संस्थाओं को विविध एजेन्सियों से धन प्राप्त होता है, अत: शैक्षिक स्तर में, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सेवा संबंधी मामले उन पर बाध्यकारी होने चाहिए।

आदर्श अधिनियम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत (अध्याय 20)

139. विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम के नियमन को प्रभावित करने वाले अभिभावी सिद्धांत ऐसे होने चाहिए:

स्वीकृत

- उत्तरदायित्व के साथ जुड़ी स्वायत्ता :
- विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों/निकायों के बीच अधिकारों का सुनिश्चित विभाजन और पार्थक्य ;
- अन्य सामाजिक उप-प्रणालियों के साथ प्रभावी संयोजन सहित भूमिका संदर्भ ;
- अराजनीतिकरण ;
- निर्णयकारी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण ; और
- प्रशासनिक तंत्र की नौकरशाही से मुक्ति।

इन बातों का ध्यान रखते हुए आदर्श अधिनियम/संविधि/ अध्यादेश की संभव विषय वस्तु सुझाई गई है।

140. अधिनियम को निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करनी चाहिए:

1. विश्वविद्यालय के उद्देश्य और अधिकार
2. कुलाध्यक्ष

अधिनियम को निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करनी चाहिए :

1. विश्वविद्यालय के उद्देश्य और अधिकार
2. कुलाध्यक्ष

3. अधिकारी

- कुलाधिपति
- कुलपति
- समकुलपति
- निदेशक/डीन/अध्यक्ष
- रजिस्ट्रार
- सामान्य प्रशासन
- मूल्यांकन
- वित्त

अन्य अधिकारी

- डीन, कालेज विकास
- डीन पाठ्यचर्या
- डीन, अनुसंधान
- डीन विस्तार,
- डीन, योजना तथा परिवीक्षण
- डीन, छात्र कल्याण
- डीन, मानव संसाधन विकास

4. प्राधिकरण/निकाय/समितियां

क. प्राधिकरण

3. अधिकारी

- कुलाधिपति
- कुलपति
- समकुलपति
- निदेशक/डीन/अध्यक्ष
- रजिस्ट्रार
- वित्त

अन्य अधिकारी

- डीन, कालेज विकास
- डीन, पाठ्यचर्या
- डीन, अनुसंधान
- डीन विस्तार
- डीन, योजना तथा परिवीक्षण
- डीन, छात्र कल्याण
- डीन, मानव संसाधन विकास

4. प्राधिकरण/निकाय/समितियां

क. प्राधिकरण

- कार्यकारी परिषद्
- विद्या परिषद्

ख. निकाय

- सीनेट
- संस्थान/संकाय परिषद्
- वित्त समिति
- योजना तथा परिवीक्षण बोर्ड
- माध्यस्थम् अधिकरण
- अनुसंधान बोर्ड
- विस्तार बोर्ड
- मानव संसाधन विकास बोर्ड
- कालिजियेट परिषद्

ग. समितियां

- पाठ्यसमिति
- दाखिला तथा शैक्षिक कार्यानुसूची समिति
- पाठ्यचर्या विकास सैल
- शिकायत निवारण समिति
- छात्र कल्याण समिति

- कार्यकारी परिषद्
- विद्या परिषद्

ख. निकाय

- सीनेट
- संस्थान/संकाय परिषद्
- योजना तथा परिवीक्षण बोर्ड
- माध्यस्थम् अधिकरण
- पाठ्य समिति
- अनुसंधान बोर्ड
- विस्तार बोर्ड
- मानव संसाधन विकास बोर्ड
- कालिजियेट परिषद्

ग. समितियां

- दाखिला तथा शैक्षिक कार्यानुसूची समिति
- पाठ्यचर्या विकास सैल
- शिकायत निवारण समिति
- छात्र कल्याण समिति
- सांस्कृतिक समितियां/क्लब
- विभागीय समितियां

5.	संविधि/अध्यादेश/विनियम	5. संविधि/अध्यादेश/ विनियम
6.	आवशिष्ट मामले	6. अवशिष्ट मामले
141.	प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की संविधि का नियमन सिन्डीकेट द्वारा और शैक्षिक संविधि का विद्या परिषद् द्वारा किया जाना चाहिए। यदि कोई विशेष मामला दोहरा हो अर्थात् अंशत: शैक्षिक और अंशत: प्रशासनिक हो तो विद्या परिषद् की सिफारिशें प्राप्त करके संविधि निर्माण का अधिकार सिन्डीकेट को होना चाहिए। कुलाध्यक्ष के पास सहमति या किसी और प्रयोजन के लिए संविधि को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसे केवल सूचनार्थ भेजना चाहिए। लेकिन यदि कुलाध्यक्ष के विचार से संविधि या उसका भाग और अधिनियम के उपबंधों में भिन्नता हो या उससे बहुत अधिक आवर्ती वित्तीय भार पड़ता हो, जो निधीयन एजेन्सी को स्वीकार न हो, तो कुलाध्यक्ष को इसे रद्द करने का अधिकार होगा।	स्वीकार नहीं की गई
142.	अवशिष्ट मामले और विवरण वाले मामले अध्यादेशों में शामिल किए जाने चाहिए। ऐसे मामले हैं: पाठ्यविवरण और पाठ्यचर्या संरचना, परीक्षाएं करना, परीक्षा फल का वर्गीकरण, परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग, शिक्षाकेतर पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं, छोटी-छोटी समितियों का संघटन आदि। अध्यादेश (और उसके सारे	स्वीकृत

संशोधन) की सूचना विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, संबंधित प्राधिकरणों और निकायों तथा अधिकारियों को दी जानी चाहिए।

143. विश्वविद्यालय प्रणाली के विभिन्न प्रचालन चरणों को प्रभावित करने वाले सब विस्तृत विनियम अपन-अपने प्राधिकरणों/निकायों/समितियों द्वारा बनाये जाने चाहिए। इन्हें विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, अन्य प्राधिकरणों/अधिकारियों के पास सूचनार्थ भेजा जाना चाहिए। स्वीकृत

विश्वविद्यालय शासन संबंधी केन्द्रीय विधान

144. केन्द्रीय सरकार को एक कानून पास करना चाहिए जिसके अनुसार विश्वविद्यालय शासन की बुनियादी संरचना निर्दिष्ट की जाए और यह व्यवस्था की जाए कि राज्य सरकार द्वारा निर्मित सब विधानों का केन्द्र यही मूल उपबंध हों। ऐसे विधान के मूल में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: स्वीकार नहीं की गई

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श अधिनियम के उचित मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित करने चाहिए। स्वीकार किए गए वैकल्पिक नमूने के आधार पर, नमूने में समुचित संशोधन किया जा सकता है।

क. राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष के रूप में, अपने पद के कारण, राज्यपाल का पद नाम;

ख. कुलाध्यक्ष राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालय का सदस्य या अधिकारी बनने से रोकना;

ग. सरकार की सहायता और सलाह से तथा विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के साथ परामर्श करके अधिकार का प्रयोग;

घ. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में बताए गए कुलाध्यक्ष के अधिकारों के आधार पर उसके अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या; और जहां कहीं उनसे सामान्य प्रथाओं में भिन्नता हो वहां अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से उनका प्रयोग।

ड. विश्वविद्यालयों के प्रमुख के रूप में कुलाधिपति की नियुक्ति की व्यवस्था और उपाधि वितरण समारोहों तथा सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार।

च. कुलपति की नियुक्ति के तरीके, यथावधि, पद से हटाना, अधिकार और कार्य के बारे में व्यवस्था।

जब कभी ऐसा केन्द्रीय कानून लागू किया जाय तो सब राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबंध केन्द्रीय कानून के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। यदि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विधानों में कोई उपबंध केन्द्रीय अधिनियम के उपबंध से भिन्न या प्रतिकूल हो तो ऐसे विधानों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए रोके रखना आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह लेनी चाहिए।

NIEPA DC
D07819

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7819
Date 27-10-93